



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राजस्थान में सतही सिंचाई के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 6

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राजस्थान में सतही सिंचाई के परिणामों की
निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 6

विषय सूची		
	के संदर्भ में	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		(iii)
कार्यकारी सारांश		(v)
अध्याय-I: प्रस्तावना		
मुख्य अभिज्ञात परिणाम	1.1	2
भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व	1.2	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में गत व्याप्ति	1.3	3
अध्याय-II: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण		
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1	5
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.2	5
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और जाँच हेतु परियोजनाओं का चयन	2.3	6
लेखापरीक्षा पद्धति	2.4	8
सतही सिंचाई में परिणामों का आंकलन करने में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	2.5	8
लेखापरीक्षा बाधाएं	2.6	9
अध्याय-III: सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन एवं वित्तीय प्रबंधन		
परियोजनाओं की आयोजना में कमियाँ	3.1	12
परियोजनाओं का समय लंघन	3.2	16
लागत लंघन	3.3	19
अलाभकारी परियोजनाओं का निर्माण	3.4	21
निष्पादन	3.5	22
अंश लागत, क्षतिपूर्ति की अप्राप्ति एवं मूल्य विचलन का अनुचित भुगतान	3.6	31
निष्कर्षों का सारांश	3.7	33
सिफारिशें	3.8	33
अध्याय-IV: परियोजनाओं की निगरानी और रख-रखाव एवं हितधारकों के बीच समन्वय		
नहर से जल छोड़ने की निगरानी का अभाव	4.1	35
सहभागी सिंचाई प्रबंधन गतिविधियां	4.2	36
संयुक्त भौतिक सत्यापन	4.3	38
सामाजिक अंकेक्षण न करना	4.4	41
जल अंकेक्षण	4.5	41
संचालन और रखरखाव	4.6	42
जल संसाधन विभाग की नियमावली के अद्यतनीकरण का अभाव	4.7	42
दोषों के सुधार का अभाव	4.8	42
हितधारकों के बीच समन्वय	4.9	42
निष्कर्षों का सारांश	4.10	43
सिफारिशें	4.11	44
अध्याय-V: परिणामों का प्रभाव और उपलब्धि		
सिंचाई क्षमता	5.1	45
पेयजल	5.2	45
फसल पद्धति में विविधता हासिल करना	5.3	45
पारिस्थितिक और पर्यावरण संरक्षण	5.4	47

विषय सूची		
	के संदर्भ में	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
वृक्षारोपण लक्ष्य की प्राप्ति	5.5	48
लाभ लागत अनुपात	5.6	48
परिणामों की निगरानी के लिये तंत्र का अभाव	5.7	49
निष्कर्षों का सारांश	5.8	50
सिफारिशें	5.9	50
अध्याय-VI: निष्कर्ष		51

परिशिष्टों की सूची		
संख्या	विवरण	पृष्ठ
I	प्रमुख निष्कर्षों की स्थिति और उस पर जन लेखा समिति की सिफारिशें	53
II	भूमि अधिग्रहण में देरी दर्शाने वाला विवरण	54
III	क्षतिपूर्ति की वसूली/उद्ग्रहण का अभाव	55
IV	जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा अभिलेखों के संधारण का अभाव	58

प्राक्कथन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

प्रतिवेदन में 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग से संबंधित "सतही सिंचाई के परिणामों" के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उसके अन्तर्गत जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 (2020 में संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

राजस्थान में देश के भू भाग का दसवां और जनसंख्या का पांच प्रतिशत हिस्सा है, तथापि, सतही जल संसाधनों में इसकी हिस्सेदारी दो प्रतिशत से कम है। राज्य की आबादी के लिए कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है। राज्य की कुल सिंचित भूमि का 69 प्रतिशत नलकूपों और खुले कुओं के माध्यम से सिंचित है, जिससे भूजल पर भारी दबाव पड़ता है। इसके विपरीत कुल विशुद्ध सिंचित क्षेत्र में सतही सिंचाई का हिस्सा केवल 31 प्रतिशत था। इसलिए, सतही जल का सर्वोत्तम उपयोग, राज्य में अत्यधिक महत्व रखता है। राज्य में क्रियान्वित की जा रही सतही सिंचाई परियोजनाओं में प्राप्त परिणामों का आंकलन करने के लिए 'सतही सिंचाई के परिणामों' विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

हमने परियोजनाओं की आयोजना में कमियों को पाया। त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षणों के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभावों के साथ कार्य प्रारंभ करने के उपरांत डिजाईनों में संशोधन हुआ। भूमि अधिग्रहण में देरी (तीन से 19 वर्ष) के परिणामस्वरूप ₹ 33.62 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.1.1 से 3.1.2)

परियोजनाओं में तीन से 39 वर्षों की देरी हुई। सभी चयनित परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई थी, जो 2 से लेकर 3,536 प्रतिशत के बीच थी।

(अनुच्छेद 3.2 से 3.3)

निर्माण पूर्व अपूर्ण सर्वेक्षण और अनुसंधान के कारण, तीन परियोजनायें अव्यवहार्य हो गईं।

(अनुच्छेद 3.4)

पाँच परियोजनाओं में सिंचाई के लिए छोड़ा गया जल परिकल्पित और आरक्षित जल से बहुत कम था और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित स्तर तक पेयजल का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका। दो परियोजनाओं में आवश्यकता से अधिक जल छोड़ा गया, जिसके कारण जलभराव और लवणता की संभावना बनी रही।

(अनुच्छेद 3.5.2.2 और अनुच्छेद 3.5.2.3)

लेखापरीक्षा के दौरान आसपास के काश्तकारों द्वारा नहर से जल का अनाधिकृत उठाव किया जाना दृष्टिगत हुआ।

(अनुच्छेद 3.5.2.4)

राजस्थान राज्य भागीदारी सिंचाई प्रबंधन में जल उपयोगकर्ता संघों के गठन की शुरुआत करने में अग्रणी था, यद्यपि जल उपयोगकर्ता संघों ने अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं किया, जिसके कारण परियोजनाओं में अप्रभावी संधारण और प्रबंधन बना रहा। बांधों से रिसाव, नहरों में क्षति, नहरों में गाद और वनस्पति देखी गई, जिसकी वजह से अपेक्षित लाभ प्रदान करने में अत्यधिक बाधा उत्पन्न हुई।

(अनुच्छेद 4.2 से 4.3)

परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए सम्बंधित विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित नहीं किया गया था। परियोजना के परिणामों के नियमित पर्यवेक्षण या विभागों के बीच समन्वय के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं था।

(अनुच्छेद 4.9)

लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण तथा परियोजनाओं की उपलब्धि का आंकलन करने का प्रयास किया।

चार परियोजनाओं में ₹ 455.76 करोड़ के निवेश के बाद भी कोई सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका। तीन परियोजनाओं में सृजित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका जबकि अन्य परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग 2.28 से 68.21 प्रतिशत के बीच में था। इस प्रकार, परियोजनाएं परिकल्पित लाभ प्रदान नहीं कर सकीं जबकि लागत में कई गुना वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 5.1)

राष्ट्रीय जल नीति यह निर्धारित करती है कि जल संसाधन विकास परियोजनाओं को जहां तक संभव हो पीने के जल के प्रावधान के साथ बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के रूप में नियोजित और विकसित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात में से केवल तीन परियोजनाओं में इच्छित लाभार्थियों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया था। एक परियोजना में लाभार्थियों को कोई जल उपलब्ध नहीं करवाया गया था और अन्य तीन परियोजनाओं में केवल लाभार्थियों के एक हिस्से तक इसे पहुंचाया जा सका।

(अनुच्छेद 5.2)

नियत उपज प्राप्त करने के लिए अनुमानों के अनुसार फसल पद्धति को सुनिश्चित नहीं किया गया था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित फसल के पद्धति/प्रौद्योगिकी/उन्नत बीजों इत्यादि के बारे में परियोजना विशिष्ट प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 5.3)

वृक्षारोपण के लिए केवल 65 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य अर्जित किये गये।

(अनुच्छेद 5.5)

प्रारंभिक सर्वेक्षण अभिलेख, भूजल के संबंध में आंकड़ें और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के पूर्ण की अवधि के लिए राजस्व और परियोजना विशिष्ट फसल उपज जैसी महत्वपूर्ण पत्रावलियां लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। विभाग के पास आंकड़ों एवं वांछित अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में, लेखापरीक्षा परियोजनावार व्यापक परिणामों का पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगा सकी।

(अनुच्छेद 5.7)


अध्याय-I
प्रस्तावना

अध्याय-I प्रस्तावना

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें देश के भू-भाग का दसवां और जनसंख्या का पांच प्रतिशत हिस्सा है। तथापि भारत के सतही जल संसाधन में इसकी हिस्सेदारी दो प्रतिशत से नीचे है। रेगिस्तानी राज्य होने के बावजूद, राज्य अनेक कृषि उत्पादों का उत्पादन करता है और कृषि राज्य की आबादी के लिये एक प्रमुख व्यवसाय है। राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद गेहूं, सोयाबीन, सरसों, बाजरा, मक्का, चना, मूंगफली इत्यादि हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 342.67 लाख हेक्टेयर में से 272.11 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है। राज्य में सकल फसल क्षेत्र 254.37 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 151.72 लाख हेक्टेयर (59.64 प्रतिशत) वर्षा पर आधारित है और केवल 102.65 लाख हेक्टेयर (40.36 प्रतिशत) ही सिंचित है।

राजस्थान में पानी का प्राथमिक स्रोत अल्प है, वर्षा अनिश्चित है और वर्ष के दो महीनों तक ही सीमित है। राज्य का लगभग दो तिहाई भाग शुष्क या अर्द्ध-शुष्क है। मानसून की अनिश्चितता कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। इस प्रकार उपलब्ध जल का सिंचाई तंत्र के माध्यम से सर्वोत्तम उपयोग, राज्य के कृषि सम्बंधी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंचाई आवश्यक अंतराल पर पौधों को नियंत्रित मात्रा में जल देने की प्रक्रिया है। सिंचाई औसत से कम वर्षा के दौरान और सूखे क्षेत्रों में खराब मृदा को फिर से जीवित करने और कृषि फसलों को उगाने में सहायता करती है। सिंचाई के स्रोतों को मोटे तौर पर सतही जल, भूजल, वर्षा आधारित या किन्हीं भी स्रोतों के संयोजन में विभाजित किया जाता है। जैसा कि नीचे दिए गए रेखाचित्र में दर्शाया गया है, राजस्थान में अभी भी 69 प्रतिशत सिंचित भूमि को नलकूपों और कुओं के माध्यम से भूजल का उपयोग कर सिंचित किया जाता है। नलकूपों और खुले कुओं पर यह निर्भरता भूजल पर भारी दबाव डालती है। इसके विपरीत जल संसाधन विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार कुल सकल सिंचित क्षेत्र में सतही सिंचाई का हिस्सा मात्र 31 प्रतिशत था।

रेखाचित्र 1-राजस्थान में सिंचित क्षेत्र का विवरण¹



स्रोत: जल संसाधन विभाग की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2019-20

¹ नहर - 31.80 लाख हेक्टेयर, टैंक - 0.69 लाख हेक्टेयर, नलकूप - 49.00 लाख हेक्टेयर, खुले कुएं- 23.32 लाख हेक्टेयर और अन्य स्रोत - 1.22 लाख हेक्टेयर ।

इस संदर्भ में सतही सिंचाई के कुशल तंत्र का विकास राज्य के लिए बहुत महत्व रखता है। सतही सिंचाई में गुरुत्वाकर्षण द्वारा सतह की मिट्टी पर जल का वितरण सम्मिलित है। सतही जल अधिक विश्वसनीय है और शेष दो प्रकार के सिंचाई स्रोतों से प्रबल है। सतही सिंचाई प्रणाली स्रोत के रूप में प्राकृतिक नदियों या तालाबों से जल लेती है। सतही सिंचाई तंत्र में मोटे तौर पर शामिल है:

- (i) संतुलित जलाशयों सहित जलाशय
- (ii) मुख्य नहरें
- (iii) लघु और उप-लघु नहरे
- (iv) वितरिका तंत्र

सिंचाई परियोजनाओं को सिंचित क्षेत्र के आधार पर वृहत, मध्यम और लघु के रूप में नामित किया जाता है अर्थात् क्रमशः 10,000 हेक्टेयर से बड़ी, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच, 2,000 हेक्टेयर से कम। स्वतंत्रता के समय राज्य में एक वृहत, 43 मध्यम और 2,272 लघु सिंचाई परियोजनाएं थीं और सिंचाई क्षमता केवल चार लाख हेक्टेयर थी।

जल संसाधन विभाग (ज.स.वि.) (पूर्ववर्ती सिंचाई विभाग) की स्थापना राज्य में कृषि और बाढ़ नियंत्रण के प्रयोजन से सतही जल और अंतर-राज्यीय नदी बेसिन जल के सर्वोत्तम उपयोग के उद्देश्य से की गई थी। विभाग ने मार्च 2020 तक 38.81 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की है। सतही सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका-1.1 में दी गई है

तालिका-1.1: सिंचाई परियोजनाएं

क्र.सं.	श्रेणी	पूर्ण	प्रगतिरत	योग
1	वृहत	10	06	16
2	मध्यम	110	06	116
3	लघु	3339	45	3384
	योग	3459	57	3516

1.1 मुख्य अभिज्ञात परिणाम

राज्य में सतही सिंचाई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन में निम्नलिखित व्यापक परिणामों की परिकल्पना की गई थी:-

- 1) फसल की उपज में वृद्धि के माध्यम से
 - (i) सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी का सृजन (आईपी)
 - (ii) फसल पद्धति में परिवर्तन
- 2) मानव उपभोग के लिए जल की उपलब्धता में सुधार

- 3) पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संरक्षण
- 4) जल उपयोगकर्ता संघ के माध्यम से भागीदारी सिंचाई प्रबंधन

1.2 भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विभाग सम्मिलित हैं:

- (i) **जल संसाधन विभाग:** किसानों की सुविधा और लोगों को पेयजल की सुविधा के लिए उपयुक्त सिंचाई तंत्र की स्थापना से सम्बंधित कार्यों के निष्पादन हेतु बुनियादी अभिकरण।
- (ii) **कृषि विभाग:** परियोजनाओं के फसलवार लाभ और फसल पद्धति के आंकलन के बारे में जानकारी देना। सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि विभाग से लाभ लागत अनुपात (बीसीआर) की गणना और फसल पद्धति को तय करने के लिए सलाह ली जाती है।
- (iii) **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग:** पेयजल के साथ परियोजनाओं के लिए ड्राइंग और डिजाइन उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी है, जहां परिणाम में पेयजल का प्रावधान सम्मिलित था।
- (iv) **वन विभाग:** जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के आधार पर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण और वन भूमि को गैर वन भूमि में रूपांतरण/स्वीकृति के लिए उत्तरदायी।
- (v) **राजस्व विभाग:** गिरदावरी के लिए उत्तरदायी अर्थात् मालिक के नाम अभिलेख, कृषक का नाम, भूमि/खसरा संख्या, क्षेत्र, भूमि का प्रकार, खेती और गैर-खेती योग्य क्षेत्र, सिंचाई का स्रोत, फसल का नाम और उसकी स्थिति, राजस्व और राजस्व दर को वर्ष में न्यूनतम दो बार अभिलेखित करना। विभाग राजस्व संग्रह के लिए भी उत्तरदायी है।

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में गत व्याप्ति

परिणामों पर केंद्रित सतही सिंचाई की लेखापरीक्षा पूर्व में आयोजित नहीं की गई। यद्यपि, वृहत परियोजनाओं में से एक अर्थात् नर्मदा नहर परियोजना की समय-समय पर लेखापरीक्षा, अनुपालना लेखापरीक्षा के रूप में की गई थी। 'नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन' विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी। प्रमुख निष्कर्षों की स्थिति और उस पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों को *परिशिष्ट-1* में उल्लेखित किया गया है।

अध्याय-II
लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

अध्याय II

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

यह निष्पादन लेखापरीक्षा विशेष रूप से सतही सिंचाई के परिणामों पर केंद्रित है। वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रशासनिक अनुमानों में परिकल्पित लाभों को वास्तविक परिणामों की पहचान और उनके आंकलन के उद्देश्य के लिए मापदंड के रूप में लिया गया था। लेखापरीक्षा ने परिणामों की उपलब्धि में अंतर का विश्लेषण (यदि कोई हो) और इस तरह कम उपलब्धि के पीछे कारणों और कारकों को रेखांकित करने का प्रयास किया।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या:

- (i) प्रदेय सिंचाई परियोजनाओं की योजना, निष्पादन एवं प्रबंधन अभिप्रेरित उद्देश्यों के अनुसार किया गया था;
- (ii) अभिप्रेरित परिणामों के लाभ और उपलब्धियों के सतत् विस्तार के लिए सभी स्तर पर हितधारकों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित स्रोतों से मानदंड प्राप्त किए:


- (i) सिंचाई नियमावली
- (ii) लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम
- (iii) केंद्रीय जल आयोग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु जारी दिशा निर्देश, 2010 और चयनित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
- (iv) वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- (v) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 1994 और अनुवर्ती संशोधन
- (vi) भू अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और अनुवर्ती आदेश
- (vii) राजकीय संकल्प और निर्देश/आदेश
- (viii) सिंचाई तंत्र के निष्पादन मूल्यांकन हेतु केंद्रीय जल आयोग के दिशा निर्देश, 2002
- (ix) राष्ट्रीय पुनःस्थापन और पुनर्वास नीति
- (x) भूमि अधिग्रहण, पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार
- (xi) राष्ट्रीय और राज्य जल नीति

2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और जाँच हेतु परियोजनाओं का चयन

क्षेत्र अध्ययन में अप्रैल 2014 से मार्च 2019 तक की अवधि को सम्मिलित किया गया। चयनित प्रगतिरत/पूर्ण परियोजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा नवंबर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान आयोजित की गई। यद्यपि, प्रतिउत्तर एवं सूचना के आधार पर यह मार्च 2020 तक अद्यतित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा में परियोजनाओं के आरम्भ से निष्पादित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा में विस्तृत जाँच हेतु जनवरी 2011 से मार्च 2017 के दौरान प्रगतिरत/पूर्ण एक वृहत¹, तीन मध्यम² और आठ लघु³ सिंचाई परियोजनाओं को एक नमूने के तौर पर सम्मिलित किया गया। वर्तमान में आठ परियोजनाएं पूर्ण⁴ और चार प्रगतिरत हैं। वृहत परियोजना (नर्मदा नहर परियोजना) का चयन प्रविष्टि सभा के दौरान शासन सचिव (जल संसाधन विभाग) के अनुरोध पर किया गया। अन्य परियोजनाओं का चयन यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से आईडिया सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर किया गया।

चयनित परियोजनाओं के स्थानों को निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाया गया है:



- ¹ नर्मदा नहर परियोजना।
- ² पिपलाद, लहासी और राजगढ़।
- ³ आकोली, भैसा सिंह, दो नदी, गुलेण्डी, घाट पिक अप वियर, किशनपुरा, मामतोरी और रोहिणी।
- ⁴ पिपलाद, आकोली, दो नदी, गुलेण्डी, घाट पिक अप वियर, किशनपुरा, मामतोरी और रोहिणी।

तालिका-2.1: चयनित परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाओं का नाम और घटक	परियोजना का प्रारम्भ और पूर्णता माह	जल का स्रोत और स्थिति	स्वीकृत परियोजना लागत (राशि करोड़ में)	अपेक्षित परिणाम अर्थात् आईपी का सृजन हेक्टेयर में (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर)	परियोजना क्षेत्र (सीसीए हेक्टेयर में)
नर्मदा नहर परियोजना	03/1996, प्रगतिरत	नर्मदा नदी (जालौर)	3124	1.51 लाख	2.46 लाख
ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना	05/2007, प्रगतिरत	ल्हासी नदी (बारां)	204.23	2609	2539
पिपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना	08/2006 और 12/2018	पिपलाद नदी (झालावाड़)	91.21	3549	4688
राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना	06/2012, प्रगतिरत	आहू और कंथारी नदी (झालावाड़)	386.82	8568	6827
आकोली लघु सिंचाई परियोजना	12/2011 और 09/2017	बांडी नदी (जालौर)	21.81	458	539
भैसा सिंह लघु सिंचाई परियोजना	10/1978, प्रगतिरत	सुकड़ी नदी (सिरोही)	18.18	350	419
दो नदी लघु सिंचाई परियोजना	09/1996 और 06/2010	सोम नदी (उदयपुर)	9.09	547.12	316
घाट पिक अप वियर लघु सिंचाई परियोजना ⁵	09/2007 और 04/2014	रूपारेल नदी (अलवर)	15.03	0	0
गुलेण्डी लघु सिंचाई परियोजना	11/2000 और 11/2011	गुलेण्डी नदी (झालावाड़)	30.21	2535	1950
किशनपुरा लघु सिंचाई परियोजना	07/1999 और 02/2012	चम्बल नदी (कोटा)	7.20	1455	1938
मामतोरी लघु सिंचाई परियोजना	08/2008 और 02/2019	बाणगंगा नदी (जयपुर)	1.14	64	78
रोहिणी लघु सिंचाई परियोजना	07/1999 और 10/2013	स्थानीय नाला (उदयपुर)	9.53	365.94	276

⁵ वर्षाकाल के दौरान, बाढ़ सिंचाई के लिये।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

क्षेत्र अध्ययन अप्रैल 2014 से मार्च 2019 की अवधि में आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा ने जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के मुख्य अभियंता/संभाग कार्यालयों⁶/वृत्त कार्यालयों⁷/अधिशाषी अभियंताओं⁸ और सम्बंधित विभागों (i) उपनिदेशक, कृषि⁹ (ii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के अधिशाषी अभियंताओं¹⁰ और (iii) राजस्व विभाग की तहसीलों¹¹ में अभिलेखों की जाँच की। इसके अतिरिक्त, चयनित परियोजनाओं का लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त कार्यस्थल निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किया गया।

17 सितंबर 2019 को शासन सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ एक प्रविष्टि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई थी। समापन सभा 5 मार्च 2021 को प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग और उनके दल के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के जाँच परिणाम और विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर चर्चा की गई थी। कुछ बिंदुओं के संबंध में, विभाग के अधिकारियों ने कुछ अतिरिक्त तथ्य सामने रखे और पूरक उत्तर देने की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार, पूरक उत्तर भी 10 मार्च 2021 को प्रस्तुत कर दिया गया था। विभाग द्वारा दिए गए उत्तर को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजन में नमूना जाँच में जाँच की गई इकाइयों और विभाग द्वारा की गई सहायता और सहयोग के लिए लेखापरीक्षा धन्यवाद देता है।

2.5 सतही सिंचाई के परिणामों का आंकलन करने में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

परिणामों को आमतौर पर परियोजना के दीर्घकालीन लक्ष्यों की उपलब्धि के अनुसार मापा जाता है। किसी सिंचाई परियोजना के लिए परिकल्पित सिंचाई क्षमता का सृजन और उपयोग प्राथमिक उद्देश्य है। इससे कृषि संबंधी उत्पादन और पैदावार में वृद्धि होगी, पीने के उद्देश्य एवं मत्स्य गतिविधियों हेतु जल मुहैया होगा, पर्यटन में वृद्धि होगी इत्यादि।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जो परियोजना प्रारंभ करने से पहले तैयार किया जाता है, की जाँच कर सतही सिंचाई के परिणामों का आंकलन किया। लाभ लागत अनुपात मानक, फसल पद्धति में बदलाव और सहभागिता सिंचाई प्रबंधन की स्थापना से उत्पन्न मात्रात्मक लाभों की जाँच, परियोजना निष्पादन एजेंसी (जल संसाधन विभाग) और सम्बंधित विभागों जैसे कृषि विभाग और पीएचईडी में लागू नियमों, विनियमों और अभिलेखों के माध्यम से की गई।

⁶ कोटा, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर।

⁷ बारां, भरतपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, सांचौर और उदयपुर।

⁸ जयपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, छबड़ा, भवानी मण्डी, सांचौर (I से V), जालौर, सिरोही, सलूमबर, उदयपुर और अकलेरा।

⁹ बारां, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा और उदयपुर।

¹⁰ सांचौर, भवानी मण्डी, आबू रोड़, छबड़ा, झालावाड़ और सलूमबर।

¹¹ कोटा, भवानी मण्डी, अकलेरा, कोटरा, स्वरवाड़ा, जालौर और सांचौर।

2.6 लेखापरीक्षा बाधाएं

लेखापरीक्षा ने सतही सिंचाई में परिणामों के अध्ययन के दौरान विभाग से कुछ बुनियादी जानकारी/अभिलेखों के लिए अनुरोध किया। तथापि, लेखापरीक्षा के बार-बार निवेदन के बाद भी निम्नलिखित सूचना प्रदान नहीं की गई थी।

- (i) परियोजनाओं के प्रस्तावों को तैयार करने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण आवश्यक थे। प्रारंभिक सर्वेक्षण, प्रस्तावों और पत्राचारों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
- (ii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से पूर्व की अवधि के लिए फसलों, जलमग्न भूमि, भूजल और राजस्व के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
- (iii) कृषि विभाग द्वारा परियोजना विशिष्ट फसल पैदावार के आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए।

परियोजनाओं के परिणाम का आंकलन करने के लिये, परियोजनावार आंकड़े आवश्यक थे। तथापि, विभाग द्वारा परियोजनावार निष्पादन आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। आंकड़ें समग्र रूप से अलग-अलग जिलों के अनुसार तैयार किये गये थे, जिससे परियोजना विशेष से प्राप्त परिणाम का आंकलन नहीं किया जा सकता। विभाग के पास वांछित आंकड़ों एवं अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा परियोजनावार व्यापक परिणाम का निश्चित रूप से निर्धारण नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। जवाब तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि उपरोक्त सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

अध्याय-III

सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना,
निष्पादन एवं वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-III


सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन एवं वित्तीय प्रबंधन

सिंचाई परियोजनाएं अनिवार्य रूप से दीर्घकालिक परियोजनाएं हैं और इसमें न केवल वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से बल्कि कार्य निष्पादन, संधारण योजना और निगरानी प्रणाली की तकनीकी के सम्बंध में भी भारी निवेश सम्मिलित है। परियोजना की आयोजना विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है जिनमें अपेक्षित परिणाम, सम्बद्ध हितधारक, परियोजना की भौगोलिक स्थिति आदि शामिल है

सभी सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता में वृद्धि एक समान उद्देश्य था, जबकि आयोजना में विभिन्न अन्य उप उद्देश्य शामिल थे। कुछ परियोजनाओं की आयोजना में गांवों और शहरों में पेयजल आपूर्ति का भी प्रावधान था। चयनित परियोजनाओं में से नर्मदा, ल्हासी, पिपलाद, राजगढ़, दो नदी, भैंसा सिंह और गुलेण्डी परियोजनाएं सिंचाई और पेयजल दोनों प्रयोजनों के लिए निष्पादित की गई थी। शेष परियोजनाएं अर्थात् आकोली, घाट पिक अप वियर, किशनपुरा, मामतूरी और रोहिणी परियोजनाएं केवल सिंचाई के उद्देश्य हेतु विकसित की गई थी।

सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना प्रक्रिया में आमतौर पर जल संसाधन विभाग से प्रस्ताव प्राप्त करना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रशासनिक अनुमान¹ तैयार करना, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिये केंद्रीय जल आयोग द्वारा वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जाँच करना तथा केंद्रीय जल आयोग से परियोजना की मंजूरी के बाद राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना शामिल है। राज्य के जल संसाधन आयोजना विभाग की सर्वेक्षण, डिजाइन और अनुसंधान (आईडी एंड आर) इकाई द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रवाह रेखाचित्र नीचे दिया गया है।

सिंचाई परियोजना की आयोजना प्रक्रिया को संक्षिप्त में दर्शाने वाला प्रवाह रेखाचित्र



¹ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रशासनिक अनुमान में परियोजना का विस्तृत औचित्य, इससे प्रभावित क्षेत्र, निष्पादन में शामिल कदम, अनुमानित लागत और लाभ आदि शामिल हैं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के दौरान, कृषि और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जैसे अन्य हितधारक सम्बंधित विभागों से प्रतिक्रिया/टिप्पणियां भी ली गई थी। भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण और वन जैसी वैधानिक मंजूरी लेने के बाद विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना था। इसे केंद्रीय विभाग (जल संसाधन विभाग) द्वारा आरंभ किया जाना था।

सभी चयनित परियोजनाओं में निधियां विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के अंतर्गत विभाग के नियमित बजट के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई थी। इसके पश्चात कार्य निष्पादन की योजना और निगरानी तंत्र की स्थापना की गई थी। परियोजना के सफल निष्पादन और परिणामों के प्रभावी वितरण के लिए परियोजना से प्रत्येक स्तर पर विस्तृत योजना की आवश्यकता होती है।

3.1 परियोजनाओं की आयोजना में कमियाँ

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में सर्वेक्षण, भू-वैज्ञानिक जाँच, जल विज्ञान, डिजाईन इत्यादि के आंकड़े शामिल किये जाते हैं तथा इन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को केंद्रीय जल आयोग (वृहत एवं मध्यम परियोजनाएं) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सामान्यतः लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये प्रशासनिक अनुमानों की तैयारी विभाग के स्तर पर की जाती है।

लेखा परीक्षा के दौरान, हमने आयोजना में कई मूलभूत कमियां देसी, जिनका परियोजनाओं की पूर्णता पर व्यापक प्रभाव था और इसके कारण समय और लागत में वृद्धि हुई। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

3.1.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में कमियां

केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रस्तुत करने, मूल्यांकन और मंजूरी के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक जाँच के अधीन है। सिंचित क्षेत्र पर खण्डवार सूचना, भूजल का संयोजित उपयोग, भागीदारी सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई से भिन्न लाभ (जैसे मछली पालन, पर्यटन इत्यादि) भी प्रत्येक परियोजना के लिए प्रदान करना आवश्यक है।

परियोजनाओं की आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिये सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण था तथा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इसे पूरा किया जाना चाहिए था। यदि सर्वेक्षण सही ढंग से नहीं किया जाता है, तो यह निष्पादन के चरण में, डिजाईन में बदलाव, परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब एवं लागत में वृद्धि का कारण बन सकता है।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम, 285 प्रावधान करता है कि सभी तकनीकी और कार्यकारी विवरणों को तैयार करने के बाद और सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के पूर्ण होने, कार्यकरण रेखांक/डिजाईन बन जाने पर विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार किये जाने चाहिए एवं स्वीकृत किये जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और सर्वेक्षण करने में निम्नलिखित कमियां पाई गई:-

(i) जैसा कि पैरा 2.6 में बताया गया है कि प्रस्ताव तैयार करने के लिये प्रारंभिक सर्वेक्षणों के आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। इस प्रकार, मुख्य विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा में विशिष्ट कमियों को इंगित नहीं किया जा सका। तथापि, सभी चयनित परियोजनाओं में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थों के साथ कार्य प्रारंभ करने के बाद मर्दों की मात्रा में परिवर्तन, कार्य के क्षेत्र और संरचनात्मक अभियांत्रिकी और डिजाईन में परिवर्तन देखा। इसलिये लेखापरीक्षा का विचार है कि प्रारंभिक सर्वेक्षण या तो आयोजित नहीं

किये गये या ठीक से नहीं किये गये, जिसके कारण चयनित परियोजनाओं की लागत में संशोधन हुआ जिसका विवरण तालिका 3.3 में वर्णित है।

उदाहरण के लिए नर्मदा नहर परियोजना की प्रारंभिक लागत ₹ 467.53 करोड़ (मार्च 1996) स्वीकृत थी, जिसे परियोजना में परिवर्तन के कारण संशोधित कर ₹ 3124 करोड़ कर दिया गया था अर्थात् प्रारंभिक लागत में 568 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन परियोजनाओं से मछली पालन के लाभों को ना तो निर्धारित किया गया और ना ही योजना में विचार किया गया, जबकि पिपलाद, ल्हासी और गुलेण्डी में मत्स्य पालन की क्षमता देखी गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि अगस्त 2007 में नर्मदा नहर परियोजना की लागत ₹ 1541.36 करोड़ दबाव सिंचाई तकनीक के लागू होने के कारण संशोधित की गई थी, जिससे सिंचित क्षेत्र 1.35 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2.46 लाख हेक्टेयर हो गया था। इसके अतिरिक्त, मूल प्रस्ताव गहन सिंचाई के लिये था जिसको बदलकर व्यापक सिंचाई में बदल दिया गया। इस वजह से वृद्धि केवल ₹ 1582.64 करोड़ अर्थात् 568 प्रतिशत के स्थान पर केवल 102.68 प्रतिशत थी। प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रारंभिक लागत ₹ 467.53 करोड़ अनुमानित थी और बाद में परियोजना में परिवर्तन के कारण लागत में 568 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ii) ल्हासी और राजगढ़ के परियोजना प्रस्तावों में भी कमियां पाई गईं जिनमें जल मार्ग/स्वतः प्रणाली के प्रावधान शामिल नहीं किए गए थे, जो किसी भी सिंचाई परियोजना का आवश्यक घटक था। जल मार्ग/स्वतः प्रणाली की आयोजना के अभाव के परिणामस्वरूप सम्बंधित परियोजनाओं में इन कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि राजगढ़ परियोजना में जल मार्ग निर्माण और स्वतः सुधार गतिविधियां सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती थी। तथापि, तथ्य यह है कि जल मार्ग और क्षेत्र विकास गतिविधियां अभी तक निष्पादित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अभिप्रेरित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(iii) नर्मदा नहर परियोजना में यह पाया गया कि भीमगुडा वितरिका की सुराचंद माइनर का निर्माण सितम्बर 2011 में पूर्ण किया गया था। माइनर के लिए 6369.31 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (सीसीए) प्रस्तावित था और सिंचित क्षेत्र में 51 डिगियों² का निर्माण किया जाना था।

मई 2011 से जनवरी 2012 की अवधि के दौरान, विभाग ने पाया कि 25 डिगियों द्वारा आवृत 3391.04 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र सरकारी पड़त भूमि³ के अन्तर्गत था। सिंचित क्षेत्र में पड़त भूमि सिंचाई उद्देश्यों के लिए तंत्र विकास हेतु उपयुक्त नहीं थी। परिणामस्वरूप, 25 डिगियों को सीसीए के आच्छादन से हटा दिया गया। शेष 2978.27 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में पाइपलाईन बिछाने का कार्य, पम्प सेट की स्थापना और शेष 26 डिगियों का

² जल भण्डारण तालाब ।

³ पड़त भूमि- बिना स्वतः योग्य या बंजर भूमि ।

निर्माण त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण और ड्राईंग व डिजाईन के परिणामी संशोधन के कारण 320 दिवस की देरी के साथ निष्पादित किया गया (मई 2015)।

राज्य सरकार अवगत कराया (मार्च 2021) कि 25 डिगियों का क्षेत्र या तो वन भूमि में था या लवणीय था। प्रत्युत्तर लेखापरीक्षा के तर्क को दर्शाता है कि योजना अवधि के दौरान उचित सर्वेक्षण नहीं किया और इसके कारण परियोजना में देरी हुई थी।

3.1.2 भूमि अधिग्रहण और मंजूरीयों के लिए आयोजना

इस आकार की किसी परियोजना के लिए, भूमि अधिग्रहण प्रमुख कदमों में से एक कदम है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, की धारा 4 से 11ए के अनुसार जब कभी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है या संभावित आवश्यकता होगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के विवरण के साथ उस आशय की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 298 प्रावधान करता है कि जहां किसी विशेष कार्य के लिये भूमि अर्जन की जानी हो वहां भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन के लिये अधिसूचना अनिवार्य रूप से प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने से पूर्व जारी की जानी चाहिये।

भूमि अधिग्रहण और विभाग के नाम जमीन हस्तांतरण में देरी के कारण बाद के स्तर पर मुकदमेबाजी हो सकती है। लेखापरीक्षा में देखे गए प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि आकोली, राजगढ़, पिपलाद, ल्हासी और नर्मदा नहर सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय (ए एण्ड एफ) स्वीकृतियाँ 1996 से 2011 के वर्षों के दौरान प्रदान की गई थी। तथापि, विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने की दिनांक से तीन से 19 वर्षों तक भूमि अधिग्रहण को विलंबित रखा। उदाहरण के लिए पिपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अगस्त 2006 में जारी की गई थी। तथापि, भूमि अधिग्रहण के भुगतान 11 वर्षों के विलंब के बाद मई 2017 में किए गए। जिसके परिणामस्वरूप भूमि धारको को नए अधिनियम⁴ के अनुसार बढ़ी हुई दरों से भुगतान करने के कारण ₹ 33.62 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परिहार्य व्यय का विवरण *परिशिष्ट-II* में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने भूमि के अर्जन में विलंब के कारणों से अवगत होने का प्रयास किया, तथापि, इन कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी से सम्बंधित कोई कारण अभिलेख में भी नहीं पाया गया।

राज्य सरकार ने ल्हासी के संबंध में अवगत कराया (मार्च 2021) कि नहरों के लिए भूमि का मुआवजा दिया गया था, जो वर्ष 2017 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि

⁴ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013।

परियोजना 2007 में स्वीकृत की गई थी और परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में नहर हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रावधान था, तथापि विभाग ने 10 वर्षों बाद भूमि अधिग्रहित की।

राजगढ़ के सम्बंध में, यह अवगत कराया गया कि नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतिम पंचाट तैयार और जारी किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नया अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व भूमि मुआवजा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सितम्बर 2012 में अनुमोदित की गई थी।

नर्मदा नहर परियोजना के सम्बंध में राज्य सरकार ने अवगत कराया कि नहर विशेष के लिए भूमि अधिग्रहण केवल विस्तृत सर्वेक्षण और नहर के एल-सेक्शन के अनुमोदन के पश्चात किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णय में अनुमोदित दरों के अनुसार भूमि मुआवजों का भुगतान किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 1996 तथा 2010 के वर्षों में अनुमोदित की गई थी और भुगतान वर्ष 2015 में किया गया था, तब तक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रभावी हो गया, जिसके कारण परिहार्य व्यय हुआ।

आकोली के लिये यह अवगत कराया गया कि भूमि अधिग्रहण में कोई देरी नहीं की गई थी और भूमि अधिग्रहण के लिए सभी प्रक्रियात्मक कदमों को अपनाया गया था परन्तु दरों में बदलाव हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2011 में अनुमोदित की गई और भुगतान 2015 में किया गया जिसके कारण परिहार्य व्यय हुआ।

(ii) भूमि नामान्तरण का अभाव

चयनित परियोजनाओं के अभिलेखों की जाँच में विदित हुआ कि विभाग ने बांध, नहर/वितरिकाओं/माइनर्स/सब माइनर्स निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित की थी। तथापि, विभाग के नाम भूमि का नामान्तरण सभी प्रकरणों में निष्पादित नहीं किया गया था। विभाग के नाम नामान्तरण नहीं की गई भूमि का विवरण नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका-3.1: गैर नामान्तरित भूमि

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिग्रहित भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	नामान्तरित भूमि (हेक्टेयर में)
1	नर्मदा नहर परियोजना	4830.00	शून्य
2	ल्हासी	646.96	604.57
3	पिपलाद	800.00	215
4	घाट पिक अप वियर	4.00	शून्य
5	किशनपुरा लिफ्ट	0.05	शून्य
6	दो नदी	28.53	शून्य

इस प्रकार, नामान्तरण के अभाव में विभाग ने अधिग्रहित भूमि का स्पष्ट हक प्राप्त नहीं किया। राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि नामान्तरण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।


(iii) वन भूमि के सम्मिलित नहीं होने के सम्बंध में गलत प्रमाणीकरण

रोहिणी लघु सिंचाई परियोजना प्रारम्भ में (जुलाई 1999) वन भूमि सम्मिलित नहीं होने के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई थी। तथापि, यह पाया गया कि परियोजना में 4.32 हेक्टेयर वन भूमि थी। तत्पश्चात, विभाग ने डूब क्षेत्र में वन मंजूरी के लिये आवेदन किया (दिसंबर 2004)। वन मंजूरी दिसम्बर 2007 में प्राप्त हुई। संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जुलाई 2011 में प्राप्त हुई, कार्य अंततः अक्टूबर 2013 में पूर्ण हुआ। इस प्रकार, वन भूमि की गैर भागीदारी सम्बंधी गलत प्रमाणीकरण के आधार पर परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसके कारण जुलाई 1999 से वन मंजूरी प्राप्त होने तक परियोजना में देरी हुई (दिसंबर 2007)। राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि वन मंजूरी एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संशोधन में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई।

3.2 परियोजनाओं का समय लंघन

सार्वजनिक धन से सम्बंधित किसी भी परियोजना का समय से पूर्ण होना उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऐसी परियोजनाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जो सीधे तौर पर खाद्य उत्पादन और एक क्षेत्र के विकास को प्रभावित करती है। देरी न केवल अभिप्रेरित लाभार्थियों को वंचित कर सकती है अपितु इसके परिणामस्वरूप लोक निधि पर लागत भी बढ़ाती है। देरी परियोजना की जटिलता में भी वृद्धि कर सकती है, क्योंकि परियोजना मानदंड समय व्यतीत होने के साथ बदल सकते हैं। चयनित परियोजनाओं में से कोई भी निर्धारित समय अविध के भीतर पूर्ण नहीं हुई थी। यह पाया गया कि 12 परियोजनाओं में से आठ परियोजनायें तीन से 12 वर्ष तक की देरी से साथ पूर्ण हुई थी और चार परियोजनायें छः से 39 वर्ष तक उपरांत अभी तक भी पूर्ण नहीं की गई। चयनित परियोजनाओं के सम्बंध में समय लंघन नीचे दिये गये रेखाचित्र 2 में दर्शाया गया है:

रेखाचित्र 2: चयनित परियोजनाओं में समय लंघन



तालिका 3.2: 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं में समय लंघन को

दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	नियत पूर्णता	वास्तविक पूर्णता	समय लंघन (वर्षों में)	विलंब के कारण
1	नर्मदा नहर परियोजना	मार्च 1996	मार्च 2003	कार्य प्रगतिरत	17	सिविल कार्य और यांत्रिक कार्य एक साथ नहीं सौंपना।
2	ल्हासी मध्यम परियोजना	मई 2007	मई 2013	कार्य प्रगतिरत	07	भूमि अधिग्रहण में विलंब, डिजाइन में परिवर्तन, नहर का निर्माण कार्य बांध के निर्माण कार्य के साथ नहीं सौंपना।
3	पिपलाद मध्यम परियोजना	अगस्त 2006	जून 2011	दिसंबर 2018	07	भूमि अधिग्रहण में विलंब, नहर का निर्माण कार्य बांध के निर्माण कार्य के साथ नहीं सौंपना।
4	राजगढ़ मध्यम परियोजना	जून 2012	जून 2015	कार्य प्रगतिरत	05	नहर का निर्माण कार्य बांध के निर्माण कार्य के साथ नहीं सौंपना, भूमि अधिग्रहण में विलंब।
5	अकोली लघु सिंचाई क्षमता	दिसंबर 2011	मार्च 2014	सितंबर 2017	03	बांध की ड्राइंग और डिजाइन में परिवर्तन, अतिरिक्त/ आधिक्य कार्यों की स्वीकृति में विलंब।
6	भैसा सिंह लघु सिंचाई क्षमता	अक्टूबर 1978	जनवरी 1981	कार्य प्रगतिरत	39	रीको द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं नहर का निर्माण नहीं किया जाना।
7	दो नदी लघु सिंचाई क्षमता	सितंबर 1996	मार्च 1999	जून 2010	11	संवेदक से विवाद, निधियों का अपर्याप्त आवंटन एवं वन विभाग द्वारा कार्य में बाधा।
8	घाट पिक अप लघु सिंचाई क्षमता	सितंबर 2007	मार्च 2010	अप्रैल 2014	04	ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देने में विलंब।
9	गुलेंडी लघु सिंचाई क्षमता	नवंबर 2000	दिसंबर 2004	नवंबर 2011	07	भूमि अधिग्रहण में विलंब, संवेदक से विवाद और डिजाइन में परिवर्तन।
10	किशनपुरा लिफ्ट लघु सिंचाई क्षमता	जुलाई 1999	जुलाई 2000	फरवरी 2012	12	ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देने में विलंब, सिविल कार्य और यांत्रिक कार्य एक साथ नहीं सौंपना।
11	मामतोरी लघु सिंचाई क्षमता	अगस्त 2008	मार्च 2011	फरवरी 2019	08	कार्य प्रारंभ करने में विलंब, वन विभाग से विवाद
12	रोहिणी लघु सिंचाई क्षमता	जुलाई 1999	मार्च 2003	अक्टूबर 2013	10	वन मंजूरी में देरी

पूर्णता में देरी और परिणामस्वरूप अधिक समय लगने या समय लंघन के मुख्य कारणों जिनमें नियोजन में कमियां सम्मिलित थी जैसे कि बांध की डिजाईन को अंतिम रूप दिये जाने में देरी, बांध कार्य के साथ-साथ नहर कार्य आवंटित नहीं करना, सिविल और यांत्रिक कार्य के बीच समन्वय का अभाव इत्यादि। कुछ प्रकरणों में भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र समय पर सृजित नहीं किया जा सका। संवेदकों के साथ विवाद और अपर्याप्त निधि आवंटन भी देखा गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

लेखापरीक्षा के दौरान भैसा सिंह सिंचाई परियोजना का प्रकरण हमारे सामने आया जहां परियोजना को 42 वर्षों तक निरन्तर निष्पादित किया जाता रहा और फिर भी कोई परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सका। विवरण नीचे प्रकरण अध्ययन में दिया गया है:

प्रकरण अध्ययन-भैसा सिंह सिंचाई परियोजना

आबूरोड तहसील में ग्राम भैसा सिंह के निकट सिंचाई उद्देश्य के लिये 216 एमसीएफटी जल संग्रहण क्षमता के साथ एक बांध के निर्माण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत ₹ 0.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी (1978) की गई थी। परियोजना 350 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के उद्देश्य के पेयजल के प्रावधान के साथ क्रियान्वित की गई थी।

बांध निर्माण के लिये अनुबंध वर्ष 1978-79 में निष्पादित किया गया था। कार्य वर्ष 1981 में पूर्ण किया जाना था। तथापि संवेदक द्वारा वर्ष 1979-80 में संवेदक और विभाग के बीच विवाद होने के कारण कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया था। बाद में कुल सिंचित क्षेत्र 2,095 एकड़ में से 931 एकड़ भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम (रीको) द्वारा अधिग्रहित करने और आबू रोड कस्बे के लिये पेयजल का अतिरिक्त प्रावधान करने के कारण ₹ 8.23 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की गई थी (2001)। डूब के तहत वन भूमि का एक हिस्सा आ रहा था, तथापि कार्य वर्ष 2002 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी के बिना प्रारंभ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2003 में कार्य को निलंबित किया गया। अंततः सरकार ने पर्यावरण मंजूरी हेतु आवेदन (फरवरी 2006) किया और दिसम्बर 2008 में वह प्राप्त हुई। तब तक, बांध की हाइड्रोलॉजी डब्ल्यूआरडी द्वारा संशोधित की गई और राज्य सरकार द्वारा ₹ 18.18 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदित (दिसम्बर 2010) की गई।

जून 2014 में ₹ 15.12 करोड़ की लागत से बांध पूर्ण किया गया। लगभग 45 प्रतिशत भूमि को रीको द्वारा अधिग्रहित करने से सिंचित क्षेत्र में कमी तथा नहरों का निर्माण नहीं करने से बांध से सिंचाई सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। बांध पूर्ण होने के दो वर्ष बाद, आबू रोड कस्बे को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना को पीएचइडी को सौंपने का निर्णय लिया गया (अक्टूबर 2016)। तथापि, मार्च 2020 तक आबू रोड कस्बे को जलापूर्ति प्रारंभ नहीं की गई थी। पृष्ठताछ पर कार्यकारी एजेंसी राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि जल आपूर्ति एवं वितरण तंत्र के उन्नयन का कार्यादेश जारी कर दिया गया है तथा वर्ष 2024 में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। इस प्रकार, न तो सिंचाई सुविधा और ना ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी (मार्च 2020), जबकि कार्य 42 वर्ष पूर्व

प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार चार दशकों से ज्यादा समय तक विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों के साथ ₹ 15.12 करोड़ निवेश शून्य हो गया और इच्छित परिणाम आदिनांक तक प्राप्त नहीं किए जा सके। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।



भैसा सिंह सिंचाई परियोजना बांध

3.3 लागत लंघन

सार्वजनिक धन से जुड़ी किसी भी बड़ी परियोजना के लिए व्यय को बजट प्रावधानों के अंदर सीमित रखना परियोजना प्रबंधन की बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक जटिल सिंचाई परियोजना में योजना में अपर्याप्तता या निष्पादन में अक्षमता से लागतों में कई गुना वृद्धि हो सकती है और जिससे परियोजना के पूर्ण होने में एक बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। इन सभी सिंचाई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना लागत का अनुमान लगाया गया था और तदनुसार विभागीय बजट में वार्षिक आधार पर धन राशि प्रदान की गई थी। चयनित परियोजनाओं में परियोजना लागत का विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका-3.3: परियोजनाओं की लागत का विवरण

(₹ करोड़ में)


परियोजना	मूल स्वीकृति	संशोधित स्वीकृति	वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि (प्रतिशत में)	वस्तुस्थिति
नर्मदा नहर परियोजना	467.53	3124	2969.74	568	अपूर्ण
ल्हासी	44.73	204.23	215.38	357	अतिरिक्त व्यय के बावजूद अपूर्ण
पिपलाद	33.64	91.21	76.49	127	पूर्ण

परियोजना	मूल स्वीकृति	संशोधित स्वीकृति	वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि (प्रतिशत में)	वस्तुस्थिति
राजगढ़	192.13	386.82	429.78	101	अतिरिक्त व्यय के बावजूद अपूर्ण
आकोली	8.84	21.81	13.13	48	पूर्ण
भैसा सिंह	0.50	18.18	15.12	3536	अपूर्ण, पीएचईडी को हस्तान्तरित
दो नदी	4.91	9.09	9.10	85	पूर्ण
घाट पिक अप वियर	3.10	15.03	9.91	220	पूर्ण
गुलेण्डी	13.46	30.21	26.62	98	पूर्ण
किशनपुरा	3.44	7.20	5.50	60	पूर्ण
मामतोरी	0.93	1.14	0.95	2	पूर्ण
रोहिणी	2.43	9.53	6.36	162	पूर्ण

* उन मामलों में जहाँ परियोजना पूर्ण हो चुकी है, लागत वृद्धि के प्रतिशत की गणना वास्तविक व्यय के आधार पर की गई है। अन्य मामलों में जहाँ परियोजनाएं प्रगतिरत हैं, लागत वृद्धि प्रतिशत की गणना संशोधित स्वीकृति के आधार पर की गई है।

तालिका से स्पष्ट है कि सभी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण लागत लंघन हुआ। परियोजना लागत लंघन को नीचे रेखाचित्र 3 में दर्शाया गया है:

रेखाचित्र 3: चयनित परियोजनाओं की लागत लंघन का प्रतिशत



लागत में वृद्धि योजना में कमियों की सूचक है, जैसे कि सिविल व यांत्रिक कार्यो का एक साथ आवंटन नही करना, वन भूमि की स्वीकृति, समय पर भूमि अधिग्रहण इत्यादि और व्यवसायिक परियोजना प्रबंधन का अभाव।

राजगढ़ जिसके बारे में बताया गया कि जनवरी 2020 तक कुल व्यय ₹ 393.52 करोड़ था, को छोड़कर राज्य सरकार ने सभी परियोजनाओं में तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)। प्रतिउत्तर में बताया गया कुल व्यय तथ्यात्मक नहीं था, क्योंकि वास्तव में स्पण्ड के मासिक लेखों के अनुसार ₹ 429.78 करोड़ का व्यय किया गया था।

3.4 अलाभकारी परियोजनाओं का निर्माण

(अ) आकोली एमसिंचाई क्षमता

जलग्रहण क्षेत्र और बहाव/प्रवाह के अनुसार, जालौर में वर्ष 2017, 2018 व 2019 में क्रमशः हुई बारिश 956 एमएम, 211 एमएम और 594 एमएम पर क्रमशः 27.583 एमसीयूएम, 0.591 एमसीयूएम और 9.401 एमसीयूएम जल की आवक बांध में होनी चाहिए थी। यद्यपि, वर्ष 2017 में चार महीन के लिये पूर्ण भराव क्षमता (1.72 एमसीयूएम) तक जल की आवक हुई और इसके बाद वर्ष 2018 व 2019 के दौरान जल की आवक नहीं हुई। नव निर्मित परियोजना में अच्छी वर्षा के बावजूद जल की आवक न होना/कम होना परियोजना निर्माण से पूर्व अपर्याप्त सर्वेक्षण को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने बताया कि 2018 और 2019 के दौरान जल ग्रहण क्षेत्र में प्राप्त वर्षा कम थी और स्थल का चयन निर्विवाद है, क्योंकि 2017 में 1.6 मीटर बहाव लिफ्ट बांध में भारी प्रवाह को दर्शाता है। सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2019 के दौरान 330.75 एमएम जो पूर्ण भंडारण क्षमता प्राप्त करने के लिये अनुमानित थी के मुकाबले 594 एमएम वर्षा प्राप्त हुई, और तब भी कोई जल प्राप्त नहीं हुआ।

(ब) घाट पिक अप वियर लघु सिंचाई क्षमता

484.50 एमएम बारिश पर 64.577 एमसीयूएम पानी की अनुमानित आवक के आधार पर परियोजना का निर्माण किया गया। यद्यपि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान 353 एमएम से 734 एमएम⁵ वर्षा के बावजूद, वर्ष 2016 में जल की कुछ मात्रा को छोड़कर जल की कोई आवक नहीं हुई। इस प्रकार, परियोजना निर्माण से पूर्व समुचित सर्वेक्षण व जाँच नहीं की गई थी।

राज्य सरकार अवगत कराया (सितंबर 2020) कि जलग्रहण क्षेत्र में कम साधन व छितरी हुई वर्षा के कारण प्रवाह उत्पन्न नहीं हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 484.50 एमएम वार्षिक वर्षा के आधार पर जल आवक की गणना की गई थी, जबकि 2014 से 2019 की अवधि के दौरान 353 एमएम से 734 एमएम के बीच वर्षा हुई, जो कि पिक अप वियर के भराव के लिए पर्याप्त थी।

(स) मामतोरी लघु सिंचाई क्षमता

2013 से 2019 के दौरान हुई वर्षा के अनुसार बांध में 0.11 एमसीयूएम से 2.85 एमसीयूएम पानी की आवक होनी थी। यद्यपि इन वर्षों में पानी की आवक नहीं हुई। बांध में पानी की आवक

⁵ 430.5 एमएम (2014), 513 एमएम (2015), 734.5 एमएम (2016), 391 एमएम (2017), 353.5 एमएम (2018) एवं 548 एमएम (2019)।

ना होना यह दर्शाता है कि बांध की हाईड्रोलॉजी बिना उचित सर्वेक्षण और जाँच के निर्धारित की गई थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

3.5 निष्पादन

अभिप्रेत लाभार्थियों को सिंचाई व पीने हेतु जल की उपलब्धता परियोजनाओं के अन्तर्गत सभी परिकल्पित लाभों का केंद्रीय उद्देश्य है। इसलिये योजना व जल के वितरण का अधिकतम एवं सतत् उपयोग प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाना था।

प्रभावी जल प्रबंधन में अभिप्रेत उद्देश्य के लिये परिकल्पित सिंचाई क्षमता का सृजन योजनानुसार जल की निकासी, लाभार्थियों को पीने के जल का प्रावधान और किसानों के लिये परिवर्तित फसल पद्धति की सुगमता हेतु वर्ष भर जल उपलब्ध कराना शामिल है।

3.5.1 अब तक सृजित सिंचाई क्षमता

किसी सिंचाई परियोजना का मुख्य ध्येय परिकल्पित सिंचाई क्षमता का सृजन एवं उपयोग है। सृजित सिंचाई क्षमता वह कुल क्षेत्र है जिसे एक परियोजना से उसके पूर्ण विकसित होने पर सिंचित किया जा सकता है और विचाराधीन अवधि के दौरान परियोजना में उपयोग की गई सिंचाई क्षमता ही वास्तविक सिंचित क्षेत्र है।

प्रत्येक परियोजना में सिंचाई क्षमता सृजन के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। परियोजना के समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इन लक्ष्यों की प्राप्ति महत्वपूर्ण थी। चयनित परियोजनाओं के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य, सृजित एवं किसानों द्वारा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता की स्थिति विस्तार से तालिका 3.4 में दी गई है।

तालिका-3.4: सिंचाई क्षमता लक्षित, सृजित और परियोजना का उपयोग

परियोजना का नाम (अ)	सिंचाई क्षमता लक्ष्य (हेक्टेयर) (ब)	सिंचाई क्षमता सृजन (हेक्टेयर) (स)	सिंचाई क्षमता सृजन में अन्तर (प्रतिशत) (द)	सिंचाई क्षमता उपयोग ⁶ (य)	सिंचाई क्षमता उपयोग में अन्तर (र)	सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध उपयोग का प्रतिशत (ल)
नर्मदा नहर परियोजना	1.51 लाख	1.51 लाख	0	1.03 लाख	0.48 लाख	68.21
ल्हासी	2609	1800	31	0	1800	0
पिपलाद	3549	3549	0	81	3468	2.28
राजगढ़	8568	0	100	0	0	अनुपलब्ध
आकोली	458	458	0	0	458	0
भैसा सिंह	350	0	100	0	0	अनुपलब्ध

⁶ राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार।


परियोजना का नाम	सिंचाई क्षमता लक्ष्य (हेक्टेयर)	सिंचाई क्षमता सृजन (हेक्टेयर)	सिंचाई क्षमता सृजन में अन्तर (प्रतिशत)	सिंचाई क्षमता उपयोग ⁶	सिंचाई क्षमता उपयोग में अन्तर	सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध उपयोग का प्रतिशत
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(य)	(र)	(ल)
दो नदी	547.12	547.12	0	30.73	516.39	5.62
घाट पिक अप वियर (बहाव से सिंचाई हेतु)	0	0	अनुपलब्ध	0	0	अनुपलब्ध
गुलेण्डी	2535	2535	0	239.25	2295.75	9.44
किशनपुरा लिफ्ट	1455	1455	0	776	679	53.33
मामतोरी	64	0	100	0	0	अनुपलब्ध
रोहिणी	365.94	365.94	0	0	365.94	0

स्रोत: जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि चार परियोजनाओं में कोई सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका और केवल सात परियोजनाएं ही लक्षित सिंचाई क्षमता का पूर्ण सृजन कर सकीं। सिंचाई क्षमता के उपयोग के सम्बंध में, तीन परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका जबकि अन्य परियोजनाओं में उपयोग 2.28 प्रतिशत से 68.21 प्रतिशत के बीच रहा।

सिंचाई क्षमता सृजन से सम्बंधित कारणों और मुद्दों का परियोजनावार विश्लेषण इस प्रकार है:

(i) **नर्मदा नहर परियोजना:** नर्मदा नहर परियोजना में नहर, डिगियों के निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना से सम्बंधित सभी सिविल⁷ एवं यांत्रिक⁸ कार्यों के पूर्ण होने पर क्षेत्र को कृषि योग्य सिंचित (कमांड क्षेत्र)⁹ माना जाना था।



कुल सिंचाई क्षमता 1.51 लाख हेक्टेयर (स्वरीफ 0.48 लाख हेक्टेयर + रबी 1.03 लाख हेक्टेयर) के मुकाबले 1.03 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का रबी मौसम में उपयोग किया जा सकता था जबकि स्वरीफ मौसम में पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया। कुल 2,231 डिगियों के

⁷ डिगियों, पम्प रूम, सेपवैल, बाउण्ड्रीवाल आदि का निर्माण।

⁸ पाइपलाइन की सप्लाय, लेईंग, जोइंटिंग, टेस्टिंग व कमीशनिंग ओर मोनोब्लॉक पम्प का स्थापना।

⁹ क्षेत्र जो एक योजना से सिंचित किया जा सकता है और कृषि के लिए उपयुक्त है।

विरुद्ध, सितंबर 2020 तक केवल 2032 डिगियों का विद्युतीकरण किया गया था। इस प्रकार, रबी के लिए जैसा विभाग द्वारा दावा किया गया है कि 1.03 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग पूर्ण उपयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि सितंबर 2020 तक 199 डिगियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि रबी एवं खरीफ मौसम में सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया है। यह उस वर्ष की वर्षा की स्थिति और कृषकों द्वारा रबी मौसम में उपयोग की गई सिंचाई की तीव्रता पर निर्भर करता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डिगियों का विद्युतीकरण नहीं होने से रबी के लिये सिंचाई क्षमता 1.03 लाख हेक्टेयर का पूर्ण उपयोग नहीं माना जा सकता है जो कि परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित था। इसके अलावा, खरीफ में सिंचाई क्षमता के उपयोग से सम्बंधित कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये।

(ii) **ल्हासी परियोजना:** ल्हासी परियोजना में वर्ष 2013-14 तक 2,609 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन प्रस्तावित था। तथापि, फरवरी 2021 तक केवल 1,800 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सका। जिसका मुख्य कारण बांध कार्य के साथ ही नहरीकरण कार्य का आवंटन नहीं किया जाना व भूमि अधिग्रहण में देरी था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

(iii) **राजगढ़ परियोजना:** विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (2011) के अनुसार, परियोजना 2015 में पूर्ण की जानी थी। तथापि, परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। राजगढ़ परियोजना में वांछित सिंचाई क्षमता¹⁰ प्राप्त नहीं की जा सकी, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में चार वर्ष की असाधारण देरी के कारण बांध व नहरी तंत्र का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। भूमि आखिरकार 2015 में अधिग्रहित की गई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि कुल सिंचाई क्षमता 8,568 हेक्टेयर के विरुद्ध वर्ष 2019-20 तक 2,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन व उपयोग किया गया। तथापि, तथ्य यह है कि परियोजना में देरी हुई और परिकल्पित सिंचाई क्षमता 8,568 हेक्टेयर आज तक प्राप्त नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, 2,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन के सम्बंध में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये।

(iv) **आकोली परियोजना:** आकोली परियोजना में अच्छी वर्षा के बावजूद सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका। परियोजना में जल की कमी/जल की आवक नहीं होना दर्शाता है कि बांध का जल विज्ञान सही नहीं था। परियोजना के पूर्ण होने (सितंबर 2017) के बाद बांध में पानी संग्रहित नहीं हुआ था।

¹⁰ नियोजित सिंचाई क्षमता 8568 हेक्टेयर।

(v) **दो नदी परियोजना:** दो नदी परियोजना में 547.12 हेक्टर सिंचाई क्षमता के सृजन के विरुद्ध, वितरिका तंत्र के कमजोर संधारण के कारण केवल 30.73 हेक्टर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सिंचित क्षेत्र 235 हेक्टर से 379 हेक्टर के बीच था, जबकि राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह केवल 30.73 हेक्टर था। दावा किये गये सिंचाई क्षेत्र के समर्थन में विभाग द्वारा कोई दस्तावेज/आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये।

(vi) **घाट पिक अप वियर:** बारिश के दौरान स्वरीफ फसलों के लिए बहाव सिंचाई एवं आसपास के कुओं के पुनर्भरण के उद्देश्य के साथ रूपारेल नदी के पानी के उपयोग किये जाने हेतु घाट पिक अप वियर का निर्माण (2007) किया गया। तथापि, अनुचित जलग्रहण क्षेत्र के कारण 2016 में थोड़े से जल को छोड़कर 2014 के बाद से जल की आवक नहीं हुई। इस प्रकार उपलब्धि शून्य थी।

(vii) **गुलेण्डी परियोजना:** गुलेण्डी में 2535 हेक्टर सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जाना था। तथापि, सिंचाई के लिये गैर न्यायसंगत पानी आपूर्ति के कारण केवल 239.25 हेक्टेयर यानि 9.44 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि राजस्व विभाग राजस्व गिरदावरी के पूर्ण व सही अभिलेख नहीं रख रहे थे और सिंचाई क्षमता के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति हुई। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि राजस्व अभिलेखों के अनुसार केवल 239.25 हेक्टर रबी में ही सिंचित किया गया था और जल संसाधन विभाग पूर्ण सिंचाई क्षमता के लक्ष्यों की प्राप्ति की पुष्टि में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका।

(viii) **रोहिणी बांध:** रोहिणी बांध का निर्माण (2013) सेई पिक अप वियर परियोजना के लिए आरक्षित बांध के रूप में किया गया था। सेई पिक अप वियर परियोजना का निर्माण वर्ष 1960 में किया गया था। रोहिणी बांध से पानी सेई पिक अप वियर के अपस्ट्रीम में छोड़ा जाना प्रस्तावित था। इसी बीच पुराना होने और कमजोर रख-रखाव के कारण सेई पिक अप वियर का नहर तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों परियोजनाओं के मध्य समयावधि अंतर पर योजना में विचार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप परियोजना के 276.41 हेक्टर कमांड क्षेत्र को लाभान्वित नहीं किया जा सका और परियोजना अलाभकारी सिद्ध हुई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि वर्ष 2013 से सेई पिक अप वियर व इसके नहरी तंत्र के माध्यम से संग्रहित जल का उपयोग किया जाता है और रोहिणी बांध पंचायतीराज विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है (2019)। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि राजस्व विभाग के अनुसार कोई सिंचाई गतिविधि निष्पादित नहीं हुई। विभागीय प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण (दिसम्बर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा के द्वारा यह भी पाया गया कि बांध से कोई सिंचाई गतिविधि नहीं की गई। नहर में अवरोधक/गाद/वनस्पति और बांध में रिसाव भी पाया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



रोहिणी बांध में रिसाव

(ix) **पिपलाद परियोजना:** पिपलाद परियोजना वर्ष 2011-12 तक 3,549 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु प्रस्तावित की गई थी और पूर्ण विकसित करने में लगभग चार वर्ष लगने थे (2014-15)। लक्षित सिंचाई क्षमता 3,549 हेक्टेयर के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 1,445 हेक्टेयर (40.71 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया और शेष 2,104 हेक्टेयर वर्ष 2018-19 में सृजित की गई। राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान मात्र 81 हेक्टेयर (लक्षित सिंचाई क्षमता का 2.28 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई क्षमता के उपयोग के अभिलेखों का संधारण नहीं किया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि जल संसाधन विभाग राजस्व विभाग के आंकड़ों के लिए उत्तरदायी नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने सिंचाई क्षमता के उपयोग से सम्बंधित कोई आंकड़े/दस्तावेज उपलब्ध करवाये।

(x) **किशनपुरा परियोजना** में 1,455 हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता में से केवल 776 हेक्टेयर (53.33 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था, क्योंकि खरीफ में कोई पानी नहीं छोड़ा गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

(xi) **मामतोरी परियोजना:** निर्गम मार्गों व पूर्ण लंबाई के नहर निर्माण कार्य नही होने से मामतोरी परियोजना कोई लक्ष्य प्राप्त नही कर सकी। आगे, दोषपूर्ण जल विज्ञान के कारण बांध के पूर्ण होने के बाद बांध में पानी का संग्रहण नही हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

3.5.2 जल आवंटन और निकासी

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार, स्वरीफ और/या रबी मौसम में जल की आवश्यकता को उनकी सम्बंधित परियोजना से आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता था और तदनुसार परियोजना में सम्पूर्ण वर्ष सिंचाई आशान्वित थी। तथापि, निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

3.5.2.1 जल छोड़ने के आंकड़ों के संधारण का अभाव

जल छोड़ने के आंकड़े परियोजना के प्रभाव और इसके परिणामों के सफल प्रतिपादन का आंकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, यह जानकारी वृहत सिंचाई परियोजना नर्मदा नहर परियोजना के लिये भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई। नर्मदा नहर परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कुल 2.46 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के लिये अनुमानित 573.26 एमसीयूएम जल उपलब्ध था। विभाग ने जल छोड़ने की वर्षवार सूचना कमाण्ड क्षेत्र में उपलब्ध भूजल सहित लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई। इन आंकड़ों के अभाव में अपेक्षित लाभार्थियों को जल की उपलब्धता के साथ-साथ जल छोड़ने के आदेशों की अनुपालना का आंकलन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि सिंचित क्षेत्र में छोड़े गये पानी और भूजल के आंकड़े परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार उपलब्ध थे। उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वास्तविक आंकड़ों के अभाव में अपेक्षित लाभार्थियों को जल की उपलब्धता के साथ-साथ जल छोड़ने के आदेशों की अनुपालना का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सकता था।

3.5.2.2 जल की न्यून निकासी

पांच परियोजनाओं में सिंचाई के लिए छोड़ा गया जल, परिकल्पित और आरक्षित से बहुत कम था। इसके प्रमुख कारण नहर प्रणाली का निर्माण नहीं होना और नहरों एवं बांधों का रखरखाव न होना था।

तालिका-3.5: जल निकासी की स्थिति

परियोजना	जल निकासी की परिकल्पना/संग्रहित	जल निकासी की स्थिति
ल्हासी	सिंचाई: 10.353 एमसीयूएम पेयजल: 7.3 एमसीयूएम ताप विद्युत संयंत्र: 8.5 एमसीयूएम	मार्च 2020 तक सिंचाई के लिये जल नहीं छोड़ा गया। पेयजल के लिये 1.18 से 1.42 एमसीयूएम प्रतिवर्ष 2016-20 के दौरान उपयोग किया गया और छबड़ा ताप विद्युत संयंत्र के लिये 4.17 से 6.45 एमसीयूएम प्रतिवर्ष 2018-20 के दौरान उपयोग किया गया। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।
राजगढ़	सिंचाई: 43.43 एमसीयूएम	वर्ष 2019-20 के दौरान केवल 22.60 एमसीयूएम जल संग्रहित हुआ था। तथापि, सिंचाई के लिये कोई जल नहीं छोड़ा गया। राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि संग्रहित जल का उपयोग 2,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन में किया गया था और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल की आपूर्ति की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि नहर का काम पूरा नहीं

परियोजना	जल निकासी की परिकल्पना/संग्रहित	जल निकासी की स्थिति
		हुआ था और 2500 हेक्टेयर की सिंचाई के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये।
आकोली	सिंचाई: 1.72 एमसीयूएम	2017 में कोई जल नहीं छोड़ा गया। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात से जल संग्रहित नहीं हुआ, यद्यपि, जलग्रहण और अपवाह में पर्याप्त वर्षा दर्ज की गई।
रोहिणी	सिंचाई: 1.93 एमसीयूएम	सिंचाई हेतु कोई जल नहीं छोड़ा गया इस तथ्य का संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान सत्यापन किया गया।
मामतोरी	सिंचाई: 0.472 एमसीयूएम	सम्पूर्ण लम्बाई में निर्गम मार्गों और नहर प्रणाली के निर्माण ना होने से में कोई जल निकासी अथवा संग्रहित नहीं किया गया। राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

3.5.2.3 जल की अधिक निकासी

(i) पिपलाद में सिंचाई और पेय के प्रयोजन के लिए क्रमशः 14.79 एमसीयूएम और 5 एमसीयूएम जल आरक्षित था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, 1445 हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता को सींचने के लिए 6.02 एमसीयूएम जल पर्याप्त था, जबकि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः 8.23 और 14.69 एमसीयूएम जल छोड़ा गया। इस प्रकार 2.21 और 8.67 एमसीयूएम अतिरिक्त जल छोड़ा गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पानी किसानों की मांग के अनुसार छोड़ा गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जल सिंचाई क्षमता सृजन के अनुसार छोड़ा जाना चाहिए था न कि किसानों की आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा, उत्तर के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो यह प्रमाणित करता हो कि जल काश्तकारों से प्राप्त मांग के आधार पर छोड़ा गया था।

(ii) इसी प्रकार गुलेण्डी लघु सिंचाई परियोजना में कुल 2,535 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में से काश्तकारों ने 2015 से 2019 के दौरान औसतन केवल 239.25 हेक्टेयर क्षेत्र बोया था। 239.25 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए फसलवार जल की आवश्यकता का आंकलन 0.850 एमसीयूएम किया गया था, लेकिन इस अवधि के दौरान वास्तविक वार्षिक औसतन 8.028 एमसीयूएम जल छोड़ा गया। इस प्रकार, इन वर्षों के दौरान औसतन 7.178 एमसीयूएम अधिक जल छोड़ा गया था। अतः जल भराव और लवणता में वृद्धि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र 1,950 हेक्टेयर में पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों के अनुसार केवल 239.25 हेक्टेयर क्षेत्र बोया गया था और जल संसाधन विभाग ने स्वयं ना ही तो सिंचित क्षेत्र के अभिलेख संधारित किये थे और ना ही उपलब्ध करवाये थे।

3.5.2.4 अनाधिकृति रूप से जल लेना

नर्मदा नहर परियोजना में फव्वारे या बून्द-बून्द पद्धति द्वारा अनिवार्य दबाव सिंचाई को अपनाया गया था ताकि भूजल में सिंचाई के जल का रिसाव कम हो सके व भूजल स्तर में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह देखा गया कि मुख्य नहर, इसकी वितरिकाएं और लघु/उपवितरिकाएं के आसपास के किसानों द्वारा जल चोरी की समस्या थी जो मोटर पम्पों और पाईपों का उपयोग करके जल उठाते थे और इसे उस भू-भाग तक पहुंचाते थे, जो डिग्गी प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आ रहे थे। इन गतिविधियों के कारण कुछ गांवों (जैसे चिमड़ी, अगावा, भालेटी, पडारडी, मानकी, सुरावास और अरनियाली के कमाण्ड क्षेत्र और निकटवर्ती गांवों) में जल भराव और लवणता बढ़ गयी। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।



नहरों से सीधे जल लेने के कारण नर्मदा नहर परियोजना में जल का अनाधिकृत उठाव

3.5.3 पेयजल का प्रावधान

राष्ट्रीय जल नीति यह निर्धारित करती है कि जहां तक संभव हो जल संसाधन विकास परियोजनाओं को पेयजल की व्यवस्था के साथ बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के रूप में नियोजित और विकसित किया जाना चाहिए।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित और वास्तव में प्रदान की गई पेयजल सुविधा के बारे में परियोजनावार विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका-3.6: सिंचाई परियोजनाएं और लाभान्वित होने वाले गांवों/कस्बों की संख्या

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना से लाभ प्राप्त करने वाले गांवों/कस्बों की संख्या	योजना से वास्तव में लाभान्वित होने वाले गांवों/कस्बों की संख्या
1	नर्मदा नहर परियोजना	जालौर जिले के 874 गांव व तीन कस्बे; बाड़मेर जिले के 667 गांव	जालौर जिले के 446 गांव
2	ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना	बारां जिले के 21 गांव व 2 कस्बें	बारां जिले के दो कस्बें
3	पिपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना	झालावाड़ जिले के 16 गांव/कस्बें	सभी गांव/कस्बों को पानी उपलब्ध करवाया गया
4	राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना	पचपहार तहसील के 54 गांव और 15 अन्य आवास बस्तियां और झालरापाटन तहसील के 157 गांव और झालरापाटन कस्बा	पचपहार तहसील के 54 गांव और 15 अन्य आवास बस्तियां
5	भैसा सिंह लघु सिंचाई परियोजना	2016 में आवू रोड़ कस्बें को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये पीएचईडी को सौंप दिया गया था।	मार्च 2020 तक पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं की गई थी।
6	दो नदी लघु सिंचाई परियोजना	ऋषभदेव कस्बे व रास्ते के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये परियोजना से सोम कागदार बांध को भरना था।	सभी गांवों/कस्बों को पानी उपलब्ध करवाया गया।
7	गुलेण्डी लघु सिंचाई परियोजना	77 गांव और अकलेरा कस्बा	सभी गांवों/कस्बों को पानी उपलब्ध करवाया गया।

जाँच के दौरान पाया गया:

(i) ल्हासी में बारां जिले के दो कस्बों के लिए जलापूर्ति योजना पहले चरण में 24 माह के विलम्ब से पूरी हुई (अगस्त 2016) और द्वितीय चरण में गांवों की जलापूर्ति के लिये योजना प्रक्रिया में थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पीएचईडी द्वारा कार्यवाही की जानी है।

(ii) पिपलाद में अनुमानित क्षेत्र के लिए जलापूर्ति योजना के काम में 20 माह की देरी हुई। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021) और बताया कि यह फिल्टर प्लांट की स्थल चयन में देरी के कारण था।

(iii) राजगढ़ में जलापूर्ति योजना को सात माह के विलंब से पूर्ण किया गया था। झालरापाटन तहसील और कस्बे के लिए पेयजल की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई। राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पीएचईडी द्वारा कार्यवाही की जानी है।

(iv) दो नदी में बांध का काम अगस्त 2007 में पूरा हो गया था, तथापि, पीएचईडी ने दस वर्षों से अधिक की देरी से पेयजल की आपूर्ति जून 2017 में प्रारम्भ की।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

3.6 अंश लागत, क्षतिपूर्ति की अप्राप्ति एवं मूल्य विचलन का अनुचित भुगतान

लेखापरीक्षा ने अन्य विभागों द्वारा अंश लागत के भुगतान की स्थिति, कार्य की अनुपातिक प्रगति बनाये नहीं रखने के लिये क्षतिपूर्ति का विवरण और संवेदक को मूल्य विचलन हेतु भुगतान की नमूना जाँच की।

उपरोक्त मुद्दों के सम्बंध में अवलोकित कमियों पर नीचे टिप्पणी की गई है।

3.6.1 अंश लागत की वसूली का अभाव/कम वसूली

(i) ल्हासी में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) और पीएचईडी द्वारा क्रमशः ₹ 68.75 करोड़ और ₹ 59.12 करोड़ के रूप में साझा की जाने वाली लागत पर विचार करके परियोजना के लाभ लागत अनुपात का मूल्यांकन 1:52:1 के रूप में किया गया था। तथापि, प्रशासनिक अनुमान को मंजूरी देते समय, आरवीयूएनएल और पीएचईडी द्वारा वहन की जाने वाली अंश लागत को संशोधित कर ₹ 59.40 करोड़ और ₹ 51.09 करोड़ कर दिया गया था। तदनुसार, आरवीयूएनएल ने अंश लागत राशि जमा कर दी थी। तथापि, पीएचईडी ने आज तक अंश लागत जमा नहीं की और वित्त विभाग के दृष्टिकोण के अनुसार, अब अंश लागत स्वीकृत करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बांध का कार्य पूर्ण हो चुका था। पीएचईडी द्वारा अंश लागत जमा नहीं किये जाने के कारण पूंजीगत लागत इस सीमा तक अधिक हो जाती है और लाभ लागत अनुपात केवल 1:06:1 हो जाता है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि आरवीयूएनएल और पीएचईडी की अंश लागत क्रमशः ₹ 68.75 करोड़ और ₹ 59.12 करोड़ थी और अंतर राशि की मांग लगातार की जा रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरवीयूएनएल के अभिवेदन के पश्चात विभाग ने अंश लागत ₹ 59.40 करोड़ (आरवीयूएनएल) और ₹ 51.09 करोड़ (पीएचईडी) के रूप में पुनर्गणना की थी, जिसे आरवीयूएनएल द्वारा जमा किया गया था।

(ii) अन्य परियोजनाएं

चयनित सात परियोजनाओं की परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पना की गई थी कि पेयजल के उपयोग के लिए पीएचईडी द्वारा अंश लागत का हिस्सा देय था, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है।

अभिलेखों की जाँच से विदित हुआ कि चार परियोजनाओं में पीएचईडी द्वारा अंश राशि का भुगतान नहीं किया गया था। पीएचईडी द्वारा देय अंश राशि का विवरण तालिका संख्या 3.7 में दिया गया है।

तालिका-3.7: लागत का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पीएचईडी द्वारा भुगतान किये जाने वाला अंश	पीएचईडी द्वारा भुगतान किया गया अंश	शेष
1	नर्मदा नहर परियोजना	296.71	216.33	80.38
2	पिपलाद सिंचाई परियोजना	22.80	17.49	5.31
3	भैसा सिंह लघु सिंचाई क्षमता	15.11	-	15.11
4	गुलेण्डी लघु सिंचाई क्षमता	7.24	3.89	3.35

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) वसूली प्रक्रियाधीन थी।

3.6.2 क्षतिपूर्ति की वसूली/उदग्रहण का अभाव

अनुबंध के स्वण्ड 2 और 3(सी) के अनुसार, संवेदक यथानुपात कार्य प्रगति संधारण नहीं करने पर और मूल संवेदक के जोखिम और लागत पर अन्य संवेदक द्वारा निष्पादित शेष कार्य पर स्वर्च की गई अतिरिक्त लागत के क्षतिपूर्ति के भुगतान करने लिए उत्तरदायी है।

नर्मदा, ल्हासी, पिपलाद, घाट पिक अप वियर, किशनपुरा लिफ्ट, मामतारी, भैसा सिंह, गुलेण्डी और दो नदी परियोजनाओं के चयनित स्वण्डीय कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 10 मामलों में संवेदकों ने न तो यथानुपातिक प्रगति को बनाए रखा और न ही अतिरिक्त लागत की जिम्मेदारी ली। स्वण्ड मुआवजे की राशि ₹ 2.42 करोड़ की क्षतिपूर्ति की वसूली में असफल रहे जैसा *परिशिष्ट-III* में विस्तृत है।

राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2021) कि सात मामलों में वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, शेष तीन मामलों में राज्य सरकार ने अनुबंध के स्वण्ड 2 और 3(सी) के उल्लंघन में संवेदक से अंतिम समायोजन के रूप में कम राशि वसूल की, जो कि वसूल की जानी थी।

3.6.3 संवेदक को अदेय लाभ

राजगढ़ परियोजना के मुख्य बांध के निर्माण का कार्य संवेदक को टर्नकी आधार पर ₹ 87.04 करोड़ में क्रमशः 7 जुलाई 2013 और 6 जनवरी 2016 आरम्भ होने और समाप्त होने की निर्धारित तिथियों के साथ प्रदान किया गया था।

अनुबंध की सामान्य शर्तों के स्वण्ड 18 में कहा गया है कि एकमुश्त अनुबंध के मामले में मूल्य विचलन स्वण्ड लागू होगा, जिनमें अनुमान ₹ 100 करोड़ से अधिक है और निर्धारित अवधि 18 माह से अधिक है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की विशेष शर्तों का स्वण्ड 21.1 यह निर्धारित करता है कि संवेदक स्वामी के लिखित आदेश पर, कार्यो या उसके किसी हिस्से की प्रगति को ऐसे समय के लिये और इस तरह से निलंबित कर देगा जैसा कि स्वामी आवश्यक समझे, और इस तरह के निलंबन के दौरान स्वामी की राय में जहां तक आवश्यक हो कार्यो को उचित रूप से सुरक्षित और रक्षित करे। स्वामी के निर्देशों को लागू करने में संवेदक द्वारा किये गये काम के बाद फिर से शुरू होने के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत स्वामी द्वारा वहन और भुगतान की जाएगी।

अभिलेखों की जाँच में विदित हुआ कि संवेदक ने अक्टूबर 2013 तक ₹ 1.69 करोड़ में कार्य निष्पादित किया और तत्पश्चात कार्य छोड़ दिया, जबकि अनुबंध में यह निर्धारित किया गया था कि ठेकेदार निर्धारित समय पर लक्ष्य प्राप्त करने के सम्बंध में विशेष ध्यान देगा। संवेदक ने सितम्बर 2014 में बिना किसी शर्त के कार्य फिर से आरंभ किया और मार्च 2020 तक कार्य प्रगति पर था।

उप शासन सचिव, जल संसाधन विभाग ने आदेश दिया (मई 2018) कि अनुबंध की विशेष शर्तों के स्वण्ड 21.1 के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। तथापि, मूल्य विचलन देय नहीं होने के बावजूद स्वण्ड अधिकारी ने मूल्य विचलन स्वण्ड के आधार पर ठेकेदार को ₹ 2.77 करोड़ (मई 2018) का भुगतान किया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि संवेदक ने खंड 21.1 के अनुसार विभाग को परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों के कारण होने वाली बाधाओं के बारे में सूचित किया (अक्टूबर 2013) और विभाग ने मामला सुलझाने तक संवेदक को श्रमिकों एवं मशीनों की सुरक्षा के लिये काम को स्थगित करने की सलाह दी (जनवरी 2014)। मूल्य विचलन के संदर्भ में भुगतान को संवेदक के कारण अतिरिक्त लागत निकालने का सबसे तर्कसंगत और उचित तरीका पाया गया, क्योंकि संवेदक के कारण कार्य के निलंबन के कारण संवेदक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। इस बीच, माननीय उच्च न्यायालय ने भी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया (दिसंबर 2013) जिसे मई 2016 में रद्द किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कई बार¹¹ विभाग ने स्वयं फर्म को सूचित किया कि विभाग ने सलाह दी है लेकिन उसने कभी भी फर्म को कार्य बंद करने का निर्देश नहीं दिया। एक "ईपीसी एकल जिम्मेदारी अनुबंध" होने के नाते फर्म बाधा को सुलझाने के लिए उत्तरदायी थी। चूंकि 60 प्रतिशत क्षेत्र सरकारी भूमि और बाधा मुक्त थी, विभाग चाहता था कि कार्य जारी रखा जाए। उच्च न्यायालय के समक्ष मामला एक विशिष्ट क्षेत्र (किसानों की भूमि) के लिए था। अतः खण्ड 21.1 के अंतर्गत किया गया अतिरिक्त भुगतान अनियमित था।

3.7 निष्कर्षों का सारांश

लेखापरीक्षा ने देखा कि सिंचाई परियोजनाओं के प्रदेशों को उद्देश्यों के अनुसार नियोजित, निष्पादित और प्रबंधित नहीं किया गया था। इच्छित परिणामों की उपलब्धि कई मुद्दों से प्रभावित थी। लेखापरीक्षा ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को बनाने में एवं सर्वेक्षण कार्य में कमियां पाई जो दर्शाता है कि प्रारंभिक योजना उचित नहीं थी। भूमि के अधिग्रहण व वन मंजूरी में देरी, परियोजनाओं के समय एवं लागत में वृद्धि, अलाभकारी परियोजनाओं का निर्माण, आंकड़ों/अभिलेखों का रखरखाव न करना और संवेदकों को अनुचित लाभ जैसे मामले थे। इन सभी का परियोजनाओं के समय पर निष्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। चार परियोजनाएं कोई सिंचाई क्षमता सृजित नहीं कर सकीं। तीन परियोजनाएं सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं कर सकीं जबकि अन्य परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग 2.28 से 68.21 प्रतिशत के मध्य था।

3.8 सिफारिशें

- विभाग को मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश विकसित करने चाहिए। इच्छित परिणाम और उन्हें प्राप्त करने का उत्तरदायित्व योजना स्तर पर स्पष्ट रूप से साँपा जाना चाहिए।
- विभाग को जल छोड़ने के आंकड़ों का रखरखाव, जल को अधिक छोड़ने की निगरानी और जल की चोरी को रोकने के लिये पर्याप्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

¹¹ जुलाई 2014, अगस्त 2014 एवं सितंबर 2014 ।

अध्याय-IV

परियोजनाओं की निगरानी और
रख-रखाव एवं हितधारकों के बीच
समन्वय

अध्याय-IV

परियोजनाओं की निगरानी और रख-रखाव एवं हितधारकों के बीच समन्वय

सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी


परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए निगरानी एक व्यवस्थित पद्धति है। परियोजना के उद्देश्यों को सम्बंधित विभागों के समन्वय के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि, सम्बंधित विभागों के बीच समन्वय न होने और निगरानी की कमी के उदाहरण देखे गये, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।


4.1 नहर से जल छोड़ने की निगरानी का अभाव

जल संसाधन विभाग ने रबी फसल के अनुमान का विश्लेषण करने के लिए राज्य दूरस्थ संवेदन आवेदन केंद्र, जोधपुर से वर्ष 2012 से 2015 के दौरान नर्मदा नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र की प्रतिबिंबावली (इमेजरी) प्राप्त की। प्रतिबिंबावली की समीक्षा यह पुष्टि करती है कि रबी की फसले 39 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में हो गई, तथापि, नहर का जल परिकल्पित मात्रा तक नहीं छोड़ा गया क्योंकि तब तक डिग्गियों का आंशिक रूप से ही विद्युतीकरण किया गया था, जैसा कि अनुच्छेद 3.5.1(i) में वर्णित है।

यह इंगित करता है कि किसानों ने अपने स्वयं के मोटर पंपों की व्यवस्था कर के नहर से सीधे जल लेकर खेतों की सिंचाई की, जबकि वितरण प्रणाली से जल की आपूर्ति डिग्गी से प्रत्येक चक को की जानी थी। उपलब्धियों का आंकलन करने के लिए विभाग के पास 2017 से 2020 तक के प्रतिबिम्ब चित्र उपलब्ध नहीं थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मार्च 2021) कि विभाग ने जल की चोरी को रोकने के लिए प्रयास किये हैं।





4.2 सहभागी सिंचाई प्रबंधन गतिविधियां

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (आरएफपीएमआईएस) किसानों के बीच जल के वितरण को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था (जुलाई 2000)। आरएफपीएमआईएस अधिनियम यह निर्धारित करता है कि प्राथमिक स्तर पर किसानों के निर्वाचित निकाय अर्थात् जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए), द्वितीय स्तर पर वितरण समिति और परियोजना स्तर पर परियोजना समिति का गठन किया जाना था। इन समितियों को शक्तियों का प्रयोग करना था और विभिन्न जल उपयोगकर्ता संघों के बीच पानी के उपयोग को विनियमित करने के लिए कार्य करना था। राजस्थान सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत नियम 2002 भी बनाये।

4.2.1 जल उपयोगकर्ता संघ, वितरण समिति एवं परियोजना समिति का गठन

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 की धारा 4 प्रावधान करती है कि प्रत्येक जल उपयोगकर्ता क्षेत्र के लिए एक जल उपयोगकर्ता संघ होगा, जिसमें सभी जल उपयोगकर्ता शामिल होंगे, जो सदस्य के रूप में ऐसे क्षेत्र में भूस्वामी है।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पिपलाद, आकोली, गुलेण्डी, मामतूरी और रोहिणी में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन नहीं किया गया था। दो नदी में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन किया गया था, तथापि, जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा कोई गतिविधि नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, नर्मदा नहर परियोजना को छोड़कर किसी भी जल उपयोगकर्ता क्षेत्र में वितरण और परियोजना समितियां गठित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पिपलाद और गुलेण्डी में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन प्रक्रियाधीन था। दो नदी में जल उपयोगकर्ता संघ का गठन किया था, लेकिन पूरी

तरह क्रियाशील नहीं था तथा रोहिणी और मामतोरी परियोजनाओं को पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने अवगत कराया कि विभिन्न स्तरों पर इन समितियों के गठन का कार्य प्रगतिरत है।

4.2.2 बाराबंदी

‘बाराबंदी’ समान जल वितरण की एक आवर्तशील प्रणाली है जो प्रत्येक किसान को जल की आपूर्ति के दिन, समय और अवधि को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए एक पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपनायी जाती है। आरएफपीएमआईएस अधिनियम की धारा 17(ए) यह निर्धारित करती है कि जल उपयोगकर्ता संघ प्रत्येक सिंचाई के मौसम के लिए एक बाराबंदी कार्यक्रम तैयार करेंगे व लागू करेंगे।

अभिलेखों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि जहां जल उपयोगकर्ता संघ का गठन किया गया था, वहां भी सिंचाई जल बिना बाराबंदी अनुसूची के प्रदान किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि नर्मदा नहर परियोजना में प्रत्येक डिग्गी के संचालन के लिए एक विस्तृत अनुसूची (बाराबंदी) पहले ही तैयार की जा चुकी थी और कार्ययोजना के अनुसार सिंचाई के लिए परियोजना की सभी नहरों में जल छोड़ा जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बाराबंदी के विद्यमानता के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था। आगे यह कहा गया कि ल्हासी, पिपलाद और गुलेण्डी में बाराबंदी जल उपयोगकर्ता संघ गठन के बाद शुरू की जायेगी।

4.2.3 सिंचाई सेवा शुल्क एवं जल कर की मांग एवं संग्रहण

सिंचाई सेवा शुल्क (आईएसएफ) का संग्रहण सिंचाई प्रणाली के रस्व-रस्वाव और सुधार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जब बहाव से सिंचाई में जल के अतिरिक्त उपयोग को कम करना होता है। जब जल उपयोगकर्ता संघ को सिंचाई शुल्क का पर्याप्त भाग आवंटित हो तब ही परियोजनाओं का प्रभावी संचालन और रस्व-रस्वाव संभव है। आरएफपीएमआईएस अधिनियम की धारा 17(ई) यह निर्धारित करती है कि जल उपयोगकर्ता संघ मांग तैयार करे और सिंचाई सेवा शुल्क एकत्र करें।

अधिनियम की धारा 24 के अनुसार किसान संगठन की निधि में सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान शामिल होंगे, जो संचालन के क्षेत्र में एकत्र किये गये जल कर के हिस्से के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा, नियम 54(के) प्रावधान करता है कि सिंचाई सेवा शुल्क उपयोगकर्ता संघों द्वारा वसूला जायेगा और सरकारी कोष में जमा किया जाएगा। यद्यपि जमा राशि का 50 प्रतिशत दावा प्रस्तुत करने पर सम्बंधित जल उपयोगकर्ता संघ को वापस कर दिया जाएगा। इन सभी जल उपयोगकर्ता संघ को सरकार या किसी अन्य वित्तीय अभिकरण से कोई अनुदान या कोई अन्य निधि नहीं मिली थी। इसलिए, चयनित परियोजनाओं के संचालन और रस्व-रस्वाव की गतिविधियों में जल उपयोगकर्ता संघ प्रभावी रूप से सम्मिलित नहीं थे।

अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि सिंचाई सेवा शुल्क का अनुमान लाभ लागत अनुपात में लगाया गया था। यद्यपि पिपलाद, आकोली, रोहिणी, मामतोरी, घाट पिक अप वियर और भैसा सिंह में सिंचाई सेवा शुल्क नहीं वसूला गया। नर्मदा नहर परियोजना, दो नदी और गुलेण्डी में

सिंचाई सेवा शुल्क लक्ष्य के 4.5 प्रतिशत से 34.71 प्रतिशत¹ तक कम वसूल किये गये। किशनपुरा लिफ्ट एमआईपी में 2012-13 से 2018-19 के दौरान जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा कुल ₹ 199.67 लाख का सिंचाई सेवा शुल्क वसूला गया। तथापि, इसे सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया। उक्त वर्णित नियम के विपरीत इस एकत्र राशि को जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा सीधे ही योजना के संचालन और रख-रखाव में उपयोग किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार (मार्च 2021) किया गया।

4.2.4 जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा अभिलेखों के संधारण का अभाव

विभिन्न अभिलेख/रजिस्टर जिन्हे जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत संधारित किया जाना आवश्यक था, संधारित नहीं किये जा रहे थे (परिशिष्ट-IV)। इसके अतिरिक्त, नियम 48(6) प्रावधान करता है कि प्रत्येक मौसम के अंत में सम्बंधित किसान संगठन विभिन्न फसलों में प्राप्त जल, उपयोग किये गये जल और इसके साथ आपूर्ति किये गये जल का एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। प्रतिवेदन परियोजना प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार की किसी भी प्रतिवेदन को न तो तैयार किया गया था और न ही प्रस्तुत/मांग किया गया था।

4.3 संयुक्त भौतिक सत्यापन

विभाग के प्रतिनिधियों के साथ जल उपयोगकर्ता संघ/किसानों के लाभार्थी सर्वेक्षण एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निम्न अवलोकन किया गया था:

(i) पिपलाद, मामतोरी और घाट पिक अप वियर में कुछ स्थानों पर नहरें क्षतिग्रस्त अवस्था में थीं। मामतोरी में टूटे हुए हिस्से को मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।



बायी मुख्य नहर पिपलाद परियोजना आमली खुर्द गांव के पास

¹

(₹ लाखों में)

परियोजना का नाम	नर्मदा नहर परियोजना	गुलेण्डी एमआईपी	दो नदी
लक्ष्य	188.81	3.11	0.58
उपलब्धियां	65.54 (34.71%)	0.14 (4.5%)	0.05 (8.6%)

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि लम्बे समय से बांध में पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण नहर नहीं चल रही थी।

(ii) नर्मदा नहर परियोजना में कुछ डिग्गियां जैसे सुकड़ी लघु (11 डिग्गियां) काम नहीं कर रही थी। इसी तरह, अकोदा माइनर (11 डिग्गियां) और धींगपुरा लघु (14 डिग्गियां) में न तो बिजली के पम्प लगाए गए और न ही बिजली के कनेक्शन लिए गए थे। इसके अलावा, किसान अनाधिकृत तरीके से अपने स्वयं के पम्पों का उपयोग करके नहर से सीधे जल ले रहे थे, क्योंकि किसानों ने अनाधिकृत बिजली कनेक्शन भी ले लिए थे। नहरों में बहुत गाद जमा हो गई थी, नहर में उगने वाली वनस्पति व शैवाल नहर में जल के प्रवाह में कमी/प्रवाह वेग को कम कर रहे थे और इसलिए जल, नहर के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा था।



नहर में भारी गाद और वनस्पति को दर्शाने वाली छवियां जो कि पानी की रुकावट का कारण बनती हैं

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि गाद हटाने का काम जल उपयोगकर्ता संघ द्वारा समय-समय पर किया जाता है, विशेषतः रबी मौसम के प्रारंभ से पहले। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान अत्यधिक गाद जमाव, वनस्पति और शैवाल पाए गये थे।

(iii) दो नदी में, भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि बांध में रिसाव थे और नहर के कुछ हिस्सों में गाद का जमाव और वनस्पति थी, जिससे पानी का बहाव कम हो गया था।



दो नदी नहर में वनस्पति/गाद

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि बांध के जलद्वार के रिसाव की मरम्मत कर दी गई है। रबी की फसल से पहले जंगल और गाद की सफाई की जा चुकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने इस सम्बंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया।

(iv) संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि घाट पिक अप वियर का प्रमुख जलद्वार कार्यशील स्थिति में नहीं था, क्योंकि भारी मात्रा में गाद (लगभग एक फीट) जमा होने से जलद्वार के गेट जाम हो गये थे।



घाट पिक अप वियर का प्रमुख जलद्वार

4.3.1 नर्मदा नहर परियोजना में परियोजना की लक्ष्य प्राप्ति का मूल्यांकन और जल उपयोगकर्ता संघ/किसानों का सर्वेक्षण

नीति आयोग के जल सूचकांक प्रतिवेदन, जून 2018 के अनुसार राजस्थान सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे सांचौर में समाधान का एक व्यापक पैकेज लागू किया है। जल उपयोगकर्ता संघ के गठन द्वारा भागीदारी सिंचाई प्रबंधन को वास्तविकता की ओर लाने में एक बड़ा प्रयास है और राज्य ने इस सूचकांक पर उच्चतम स्तर पाया है। तथापि, कुल 2,231 में से 227 जल उपयोगकर्ता संघों का विभाग के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में निम्नलिखित पाया गया था:

(i) बाराबंदी अनुसूची किसी भी जल उपयोगकर्ता संघ में लागू नहीं की जा रही थी और किसानों को बाराबंदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि अधिकांश जल उपयोगकर्ता संघ बाराबंदी अनुसूची का पालन कर रहे थे और नियमित रूप से बाराबंदी अनुसूची को अपनाने के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान न तो बाराबंदी अनुसूची का पालन किया गया था और न ही सरकार ने बाराबंदी के विद्यमानता के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया था।

(ii) 65 जल उपयोगकर्ता संघ किसानों से सिंचाई सेवा शुल्क संग्रहण नहीं कर रहे थे। 162 जल उपयोगकर्ता संघों ने सिंचाई सेवा शुल्क का संग्रहण किया, तथापि, एकत्रित राशि सरकार के खाते में हस्तांतरित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि नियमित रूप से किसानों से जल शुल्क वसूला जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल उपयोगकर्ता संघ पर की गई टिप्पणियों के सम्बंध में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(iii) 217 जल उपयोगकर्ता संघ प्रत्येक फसल के अंत में वितरण और लघु प्रणाली सहित सिंचाई प्रणालियों के रख-रखाव के लिए योजना तैयार नहीं कर रहे थे।

(iv) बुनियादी संरचना जैसे जल उपयोगकर्ता संघ के लिये कार्यालय आदि किसी भी डिग्री में उपलब्ध नहीं करवाये गये।

राज्य सरकार द्वारा बिन्दु (iii) और (iv) के सम्बंध में तथ्य स्वीकार (मार्च 2021) किये गए।

(v) 175 जल उपयोगकर्ता संघों ने सर्वेक्षण के दौरान बताया कि परियोजना के आने के बाद जल स्तर बढ़ गया था, जिसके कारण जल भराव में वृद्धि हुई और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

राज्य सरकार नहर और कुओं के जल के संयुक्त उपयोग के कारण जल स्तर में वृद्धि हेतु सहमत नहीं थी (मार्च 2021)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नर्मदा नहर परियोजना में जल का संयुक्त उपयोग नहीं किया जा रहा था।

4.4 सामाजिक अंकेक्षण न करना

आरएफपीएमआईएस नियमावली का नियम 52 प्रावधान करता है कि प्रत्येक फसल मौसम के अंत में किसान संगठन सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था करेंगे और सक्षम प्राधिकारी सामाजिक अंकेक्षण के संचालन में सम्पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। तथापि, चयनित परियोजनाओं में कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि जल उपयोगकर्ता संघ को निर्देशित कर दिया गया है और भविष्य में सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

4.5 जल अंकेक्षण

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जल अंकेक्षण, परियोजना के जल लेखों की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक जाँच है। व्यापक जल अंकेक्षण, संसाधनों के आसान और प्रभावी प्रबंधन के लिये वितरण प्रणाली और जल उपयोगकर्ताओं को विस्तृत रूपरेखा दे सकता है। किसी भी परियोजना में जल अंकेक्षण का संचालन नहीं पाया गया।

नर्मदा नहर परियोजना, पिपलाद और गुलेण्डी परियोजनाओं के सम्बंध में राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि भविष्य में जल अंकेक्षण का काम किया जाएगा।

4.6 संचालन और रखरखाव

सिंचाई संरचना को ठीक से बनाए रखने और संचालित करने के लिए, प्रत्येक सिंचाई संरचना के लिए एक विस्तृत संचालन एवं रखरखाव दिशानिर्देशिका तैयार करना आवश्यक है। अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि किसी भी परियोजना में संचालन एवं रखरखाव दिशानिर्देशिका तैयार/उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि परियोजना के रख-रखाव के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वर्ष निष्पादित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि किसी भी परियोजना में परियोजना के रख-रखाव के लिए संचालन एवं रखरखाव दिशानिर्देशिका तैयार नहीं की गई थी।

4.7 जल संसाधन विभाग की नियमावली के अद्यतनीकरण का अभाव

जल संसाधन विभाग नियमावली बहुत समय पहले प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार 1982 में संशोधित की गई थी। इसके बाद विभाग द्वारा अनेक शासकीय आदेश जारी किये गये, लेकिन जल संसाधन विभाग नियमावली को पिछले 38 वर्षों से संशोधित और अद्यतन नहीं किया गया है। इसके कारण इसके कई प्रावधान अप्रासंगिक हो गए हैं और कई महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

4.8 दोषों के सुधार का अभाव

रोहिणी बांध अक्टूबर 2013 में पूर्ण हुआ और इसके अनुबंध में तीन साल की दोष निवारण अवधि का प्रावधान था। बांध में रिसाव हो रहा था और इस कारण बांध से पानी का निकास अनियंत्रित हो गया था। यद्यपि, यह तथ्य जल संसाधन विभाग के संज्ञान में था, लेकिन बांध को अप्रैल 2018 में क्षतिग्रस्त स्थिति में पंचायती राज विभाग को सौंप दिया गया। इसलिए परियोजना से सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि संवेदक द्वारा उसकी अपनी लागत पर सुधार किया गया था और विभाग के पास रखी गई प्रतिभूति जमा दोषों से हटाने के बाद ही जारी की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि बांध अप्रैल 2018 में पंचायती राज विभाग को सौंप दिया गया था।

4.9 हितधारकों के बीच समन्वय

परियोजना के प्रभावी ढंग से नियोजन एवं निष्पादन के लिये सम्बंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक था। सिंचाई परियोजनाओं में केन्द्रीय विभाग, जल संसाधन विभाग के अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पेयजल के लिए), कृषि विभाग (फसल पैदावार बढ़ाने के लिए) और वन विभाग (नहर किनारे वृक्षारोपण के लिए) जैसे अन्य हितधारक होते हैं।

4.9.1 समन्वय के लिये औपचारिक तंत्र की अनुपस्थिति

सिंचाई परियोजना में पानी की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई कार्यक्रम और फसल पद्धति तैयार करने के मुख्य उद्देश्यों के लिये जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और राजस्व विभाग की समिति का गठन किया जाना था। तथापि, सभी चयनित परियोजनाओं में समितियों का गठन नहीं किया गया था और सम्बंधित विभागों के बीच कोई बैठक नहीं हुई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि समितियों का गठन किया जा रहा है और सम्बंधित विभागों के साथ नियमित परामर्श आयोजित किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान किसी भी उच्च स्तरीय विभागीय समन्वय का कोई साक्ष्य नहीं देखा गया। प्रतिउत्तर के साथ सम्बंधित विभागों से परामर्श का कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

4.9.2 सम्बंधित विभागों की भूमिका में कमियां

कृषि विभाग लाभ लागत अनुपात और फसल पद्धति की गणना करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने में सम्मिलित था। इसलिए परियोजनाओं के उचित निष्पादन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए उसकी निरंतर भागीदारी आवश्यक थी। तथापि, कृषि विभाग ने बताया कि न तो वे लाभार्थियों के लिए किसी परियोजना विशेष जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करते हैं और न ही वे सिंचित क्षेत्रवार इस पर निगरानी रखते हैं। प्रत्येक जिले में कृषि विभाग के नियमित कार्यक्रम इन क्षेत्रों को भी सामान्य प्रक्रिया में आच्छादित करते हैं। कृषि विभाग द्वारा परियोजना विशिष्ट आंकड़ों के संकलन के अभाव में लेखापरीक्षा फसल की पैदावार में वृद्धि, फसल पद्धति में बदलाव आदि का आंकलन नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित उद्देश्यों की उपलब्धियों को सुनिश्चित करने में परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी हुई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021)।

4.10 निष्कर्षों का सारांश

लेखापरीक्षा ने पाया कि सम्बंधित विभागों में समन्वय हेतु औपचारिक तंत्र का अभाव था, जल उपयोगकर्ता संघ या तो गठित नहीं थे या प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे थे, सामाजिक एवं जल अंकेक्षण नहीं किये गये थे। संचालन और रस्वरस्वाव दिशानिर्देशिका तैयार नहीं की गई थी। नियमावली अद्यतन नहीं की गई थी, दोषों को समय पर ठीक नहीं किया गया था और नहर में भारी गाद/जमा/उगाई गई वनस्पतियों ने नहर में मुक्त पानी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया था।

4.11 सिफारिशें

- विभाग को सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु, प्रगति की निगरानी के लिए, नियमित रस्वरस्वाव एवं उचित प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना चाहिए।
- अपनी परिभाषित भूमिका निभाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, वित्तीय साधनों और प्रशिक्षण के साथ जल उपयोगकर्ता संघों को मजबूत करना चाहिए।
- विभाग जल के मुक्त प्रवाह को सुगम बनाने के लिए समय-समय पर नहरों के रस्व-रस्वाव को सुनिश्चित करे।
- विभाग प्रभावी और नियमित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रगतिरित और भविष्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए संबंधित सभी विभागों (अर्थात जल संसाधन, कृषि, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्व और वन) के लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र तैयार करने पर विचार कर सकता है।

अध्याय-V
परिणामों का प्रभाव और उपलब्धि

अध्याय-V

परिणामों का प्रभाव और उपलब्धि

लेखापरीक्षा द्वारा परियोजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण और परियोजनाओं की उपलब्धियों के मूल्यांकन का प्रयास किया गया। हमने पहले ही अध्याय III में सिंचाई क्षमता की उपलब्धि और पेयजल के प्रावधान पर चर्चा की है। इन मापदंडों सहित सभी पहलुओं के सम्बंध में परियोजनाओं के निष्पादन की चर्चा नीचे की गई है।

5.1 सिंचाई क्षमता की त्रुटिपूर्ण योजना

इच्छित सिंचाई क्षमता का निर्माण/सृजन और उपयोग सिंचाई परियोजना का मुख्य प्रदेय है। प्रत्येक परियोजना में सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। परियोजनाओं के समग्र उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति महत्वपूर्ण थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार परियोजनाओं में किसी भी सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं हो सका और केवल सात परियोजनाओं ने लक्षित सिंचाई क्षमता सृजन को पूर्ण रूप से प्राप्त किया। सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग के संबंध में, सृजित सिंचाई क्षमता का तीन परियोजनाओं में उपयोग नहीं किया जा सका जबकि अन्य परियोजनाओं में उपयोग 2.28 प्रतिशत से 68.21 प्रतिशत (अनुच्छेद 3.5.1) के बीच था।

भैसा सिंह परियोजना को सिंचाई और पेयजल दोनों उद्देश्यों के लिए निष्पादित किया गया था और इस परियोजना के लिए सिंचाई क्षमता 350 हेक्टेयर नियोजित की गई थी। तथापि, बांध का काम पूरा होने के बावजूद कोई सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं हो सका और भैसा सिंह बांध को पेयजल सुविधाओं के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंप दिया गया (अक्टूबर 2016)। इस प्रकार, प्रारंभ में नियोजित 350 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी।

5.2 पेयजल

राष्ट्रीय जल नीति यह निर्धारित करती है कि जहां तक संभव हो जल संसाधन विकास परियोजनाओं को पेयजल के प्रावधान के साथ बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के रूप में नियोजित और विकसित किया जाना चाहिए। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित और वास्तव में प्रदान की गई पेयजल सुविधा के बारे में परियोजनावार विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात में से केवल तीन परियोजनाओं में इच्छित लाभार्थियों को पेयजल उपलब्ध कराया गया था। एक परियोजना में लाभार्थियों को जल उपलब्ध नहीं करवाया गया था और अन्य तीन परियोजनाओं के संबंध में केवल लाभार्थियों के एक हिस्से को आच्छादित किया गया था (अनुच्छेद 3.5.3)।

5.3 फसल पद्धति में विविधता हासिल करना

परियोजनाओं में फसल पद्धति विभिन्न मापदंडों पर विचार करके निर्धारित की गई थी। जैसे जल की उपलब्धता, कृषि में अंतर्गत वर्तमान फसल, जलवायु परिस्थितियां, मिट्टी की प्रकृति, भूजल की स्थिति, नवीन प्रचलित आधुनिक कृषि तकनीक, अध्ययन और शोध। जल संसाधन विभाग

द्वारा किसी भी परियोजना के व्यवहार्यता का निर्णय फसल पद्धति और अनुमानित उपज के आंकड़ों के आधार पर किया गया था।

मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता के आधार पर पूरे सिंचित क्षेत्र में फसल पद्धति को कृषि विभाग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। निर्धारित पद्धति के तहत कुछ फसलें जल की कम आवश्यकता वाली और कुछ अधिक आवश्यकता वाली हो सकती हैं। तदनुसार पानी को स्रोत से लेने की व्यवस्था की जा रही थी। तथापि लेखापरीक्षा ने यह पाया कि किसानों को फसल की विविधता के लाभ के बारे में जागरूक करने के लिए और पानी का इष्टतम उपयोग कैसे किया जा सकता है, के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। इस प्रकार ज्यादातर मामलों में किसानों ने पारम्परिक फसल पद्धति का उपयोग करना जारी रखा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कृषि विभाग ने अनुमानों के अनुसार वास्तविक फसल पद्धति को सुनिश्चित नहीं किया था। चयनित परियोजनाओं के सिंचित क्षेत्र में वास्तविक फसल पद्धति विभिन्न फसलों और खेती योग्य क्षेत्र के संदर्भ में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित की तुलना में अलग था। अभिलेखों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि:

(i) नर्मदा नहर परियोजना (बहाव/सामान्य) की फसल पद्धति को लिफ्ट क्षेत्रों के लिए अलग से प्रस्तावित (कृषि विभाग द्वारा) किया गया था। विभिन्न फसलों के प्रतिशत क्षेत्र के आवंटन के लिए मुख्यतः ऐसी फसलें शामिल थी जिनको पानी की कम आवश्यकता हो, उच्च आर्थिक लाभ और लवणता के प्रति सहिष्णु हो। विभाग द्वारा वास्तविक फसल पद्धति का विवरण प्रदान नहीं किया गया था।

(ii) पिपलाद में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित फसल पद्धति का पालन कृषकों द्वारा अनुमानित फसल पद्धति के बारे में जागरूकता के अभाव के कारण नहीं किया गया। यह इस तथ्य के साथ देखा जा सकता है कि सरसों 32.66 प्रतिशत कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में प्रस्तावित थी और इसके विपरीत किसानों ने इसे केवल 10.88 प्रतिशत क्षेत्र में बोया। इसी प्रकार जिन फसलों को प्रस्तावित फसल पद्धति में नहीं लिया गया था, उन्हें 18.63 प्रतिशत क्षेत्र में बोया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुमानित उपज भी प्राप्त नहीं की जा सकी, क्योंकि गेहूँ, चना, सरसों और धनिया की पैदावार अनुमानित क्रमशः 40, 17.5, 20 और 13 क्विंटल/हेक्टेयर के विरुद्ध 34.13, 8.74, 12.08 और 9 क्विंटल/हेक्टेयर रही। विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कृषक प्रस्तावित फसल पद्धति के बारे में नहीं जानते थे और कृषि विभाग अथवा जल संसाधन विभाग द्वारा भी फसल पद्धति/तकनीक/उन्नत बीजों आदि के बारे में कोई प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था।

(iii) दो नदी में, बोई गई फसलों का क्षेत्र और प्रकार, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित फसल पद्धति से अलग था।

(iv) गुलेण्डी में बोई गई फसलों का क्षेत्र और प्रकार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित फसल पद्धति से अलग था।

(v) किशनपुरा लिफ्ट परियोजना में कृषकों द्वारा वास्तव में अपनायी गयी फसल पद्धति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तावों से अलग थी। किसानों ने 28.72 प्रतिशत क्षेत्र में धनिया और लहसुन की बुवाई की, जो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित नहीं थी। इसके

अतिरिक्त, गेहू की बुवाई प्रस्तावित 194 हेक्टेयर के मुकाबले 355 हेक्टेयर, सरसों की बुवाई 388 हेक्टेयर के मुकाबले केवल 129 हेक्टेयर की गई थी। विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि कृषक प्रस्तावित फसल पद्धति के बारे में अनभिज्ञ थे और कृषि विभाग अथवा जल संसाधन विभाग द्वारा फसल पद्धति, तकनीक, उन्नत बीजों आदि के बारे में कोई प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था।

उप अनुच्छेद (i) से (v) की अनुपालना में राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि फसल का चयन स्वयं कृषकों द्वारा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कृषकों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित फसल पद्धति पैटर्न और इससे होने वाले लाभों के बारे में जागरूक करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

5.4 पारिस्थितिक और पर्यावरण संरक्षण

राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार, परियोजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और संचालन में, पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन प्राथमिकता के आधार पर विचार योग्य होनी चाहिए। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 प्रावधान करती है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी भाग का उपयोग किसी भी गैर-वन प्रयोजन के लिये निर्देश देने वाला कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। जलाशयों का निर्माण और भूमि का जलमग्न होना, वनस्पतियों और जीवों सहित निवासियों का विस्थापन, आसपास के केचमेंट में पुनर्वास, वनों का आच्छादन, जल भराव और लवणता और मिट्टी तथा पानी की क्षारीयता आदि सिंचाई परियोजनाओं का विकास, क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकांश लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रशासनिक अनुमानों में न तो पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की गई थी और न ही प्रभाव का कोई अलग पर्यावरणीय अध्ययन किया गया था।

तथापि, प्रमुख सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना का पर्यावरणीय अध्ययन, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (वेपकोस) (1998) द्वारा किया गया था, जिसने जल भराव और लवणता को रोकने के लिए पूरे सिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके दबाव सिंचाई और नहरों के किनारे वृक्षारोपण का सुझाव दिया था। टहल सलाहकार ने व्यापक सिंचित क्षेत्र विकास योजना तैयार की (2004), जिसमें भी स्प्रिंकलर और डिग्गी प्रणाली से दबाव सिंचाई का सुझाव दिया था। फिर भी यह पाया गया कि नहर के निर्माण के बाद सिंचित क्षेत्र में जल भराव और लवणता में वृद्धि हुई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि नर्मदा नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र में जलभराव और लवणीकरण की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वेपकोस और राज्य भूजल विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना के सिंचित क्षेत्र के कुछ गांवों में जल भराव और लवणता उत्पन्न हुई थी।

5.5 वृक्षारोपण लक्ष्य की प्राप्ति

सिंचित क्षेत्र में जल भराव को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों में से एक नहर प्रणाली के किनारे वृक्षारोपण करना था।

नर्मदा नहर परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (2017) में नहर के किनारे वृक्षारोपण के लिए ₹ 55.13 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रावधान के विरुद्ध ₹ 9.57 करोड़ की राशि उप वन संरक्षक, बाड़मेर को और ₹ 37.46 करोड़ उप वन संरक्षक, जालोर को दिसम्बर 2010 और जनवरी 2016 की अवधि के दौरान आवंटित की गई। आवंटित राशि के विरुद्ध क्रमशः ₹ 6.42 करोड़ और ₹ 20.55 करोड़ वृक्षारोपण के लिए उपयोग किये गये। मुख्य नहर, वितरिकाओं और माइनरों के साथ वृक्षारोपण के लिए भौतिक लक्ष्य का फैलाव 3941 किलोमीटर तय किया गया था (जुलाई 2011)। इसके विरुद्ध मार्च 2020 तक वृक्षारोपण का फैलाव केवल 2561 किलोमीटर (65 प्रतिशत) में किया गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रजातियों से इतर प्रजातियों का रोपण किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम वृक्षारोपण और परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित पौधों के अलावा अन्य प्रजातियों के रोपण से सिंचित क्षेत्र में जैव अपवाह प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

5.6 लाभ लागत अनुपात

लाभ लागत अनुपात, सिंचाई के लिए वार्षिक अतिरिक्त लाभ तथा उन लाभों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक लागत के मध्य का अनुपात है। सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात एक और अन्य क्षेत्रों में 1.5 था।

परियोजनावार सिंचाई क्षमता का लक्ष्य, सृजित तथा उपयोग की चर्चा अनुच्छेद 3.6.1 में विस्तृत रूप से की गयी है। इसके अतिरिक्त, लाभ लागत अनुपात का विवरण तथा आठ में से तीन परियोजनाओं के आर्थिक लाभ का विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है।

तालिका-5.1: लाभ लागत अनुपात का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा की टिप्पणियां
1.	नर्मदा नहर परियोजना	<p>विभाग ने लाभ लागत अनुपात 1.61:1 की गणना रबी और स्वरीफ फसलों दोनों के उत्पादन का सकल मूल्य लेकर की थी। तथापि, केवल रबी फसलों के लिए जल उपलब्ध कराया गया था। लाभ लागत अनुपात स्वरीफ के लिए कृषि उपज का शुद्ध मूल्य ₹ 271.57 करोड़ अनुमानित किया गया था। तथापि, स्वरीफ के दौरान पानी नहीं छोड़ा गया था। इसलिए किसानों को 2014-15 से प्रति वर्ष ₹ 271.57 करोड़ की आय अर्जित करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका।</p> <p>राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि जल का उपभोग रबी और स्वरीफ दोनों में किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जल केवल रबी मौसम के लिए उपलब्ध कराया गया था।</p>

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा की टिप्पणियां
2	आकोली परियोजना	<p>संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (2018) के अनुसार, लाभ लागत अनुपात 2.51:1 मूल्यांकित किया गया था। तथापि, वर्ष 2018 और 2019 के दौरान बांध में कोई जल भराव नहीं हुआ था। चूंकि रबी मौसम के दौरान सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए 2017-18 के बाद प्रति वर्ष कृषकों को ₹ 246.85 लाख की आय अर्जित करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका।</p> <p>राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि 2018 और 2019 के दौरान इसके जलग्रहण क्षेत्र में छितराई हुई बारिश हुई, जिससे किसान लाभान्वित नहीं हो सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लाभ लागत अनुपात प्राप्त नहीं किया जा सका।</p>
3	गुलेण्डी परियोजना	<p>संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (2008) के अनुसार, लाभ लागत अनुपात 1.64:1 मूल्यांकित किया गया था। चूंकि खरीफ के मौसम में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए कृषकों को वर्ष 2012-13 से प्रति वर्ष ₹ 203.74 लाख की आय अर्जित करने अवसर प्राप्त नहीं हो सका।</p> <p>राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पर्याप्त वर्षा के कारण खरीफ में किसानों की मांग के अभाव के कारण जल उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह इंगित करता है कि अतः लाभ लागत अनुपात की गणना क्षेत्र के वर्षा पद्धति को ध्यान में रखकर उचित मांग का आंकलन नहीं किया गया था।</p>

5.7 परिणामों की निगरानी के लिये तंत्र का अभाव

विभाग द्वारा या तो वांछित प्रपत्र में सूचना का अनुरक्षण नहीं किया गया था या उपलब्ध सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अभिलेख, भूजल सम्बंधी आंकड़ें एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से पहले की अवधि के लिए राजस्व तथा परियोजना विशिष्ट उपज जैसे कुंजी दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। विभाग के पास आंकड़ों एवं वांछित अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में लेखापरीक्षा परियोजनावार व्यापक परिणाम का ठीक-ठीक निर्धारण नहीं कर सकी (अनुच्छेद 2.6)।

इसके अलावा, परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित नहीं किया गया था। परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और निगरानी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश विकसित नहीं किए गए थे, सभी प्रगतिरत और भविष्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई संयुक्त निगरानी तंत्र नहीं था, परियोजना के परिणामों की प्रभावी निगरानी के लिए आंकड़ों का रखरखाव नोडल केंद्रीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था और जल संसाधन विभाग नहर से पानी छोड़ने की निगरानी में विफल रहा। इस प्रकार, इन बाधाओं और परिणामों की निगरानी के लिए सरकार में तंत्र की कमी के कारण, लेखापरीक्षा में परिणामों का निर्धारण नहीं किया जा सका।

5.8 निष्कर्षों का सारांश

लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रशासनिक अनुमानों में न तो पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की गई थी और न ही पर्यावरणीय प्रभाव का अलग से अध्ययन किया गया। नर्मदा नहर परियोजना के मामले में नहर निर्माण के बाद सिंचित क्षेत्र जल भराव और लवणता बढ़ गयी थी। मुख्य नहर, वितरिका और लघु नदियों के किनारे वृक्षारोपण के लिए केवल 65 प्रतिशत ही भौतिक लक्ष्य प्राप्त किए गए और परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रजातियों के अलावा अन्य प्रजातियों का वृक्षारोपण किया गया। कृषि विभाग ने अनुमानों के अनुसार वास्तविक फसल पद्धति को सुनिश्चित नहीं किया, क्योंकि चयनित परियोजनाओं के सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक फसल पद्धति, फसलों की विविधता और खेती योग्य क्षेत्र के मामलों में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित पद्धति से अलग थे। परिणामों की निगरानी के लिए तंत्र का भी अभाव था।

5.9 सिफारिशें

- विभाग को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रशासनिक अनुमानों में पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार सुनिश्चित करना चाहिए।
- विभाग को वृक्षारोपण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और परियोजना प्रतिवेदन में दी गई प्रजातियों के लिए वृक्षारोपण सुनिश्चित करना चाहिए।
- विभाग को परियोजना विशिष्ट फसल पद्धति को अपना सुनिश्चित करना चाहिए।
- केंद्रीय विभाग (जल संसाधन विभाग) को परियोजना परिणामों की प्रभावी निगरानी के लिए आवश्यक परियोजनावार आंकड़ों का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए।
- विभाग/राज्य सरकार को अभिनियोजित संसाधनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए परिणामों की निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए।

अध्याय-VI

निष्कर्ष

अध्याय-VI

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1

क्या प्रदेय सिंचाई परियोजनाओं की योजना, निष्पादन एवं प्रबंधन अभिप्रेरित उद्देश्यों के अनुसार किया गया था?

इच्छित परिणामों की उपलब्धि कई कारकों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। परियोजनाये पहले से ही लंबी अवधि की थी और फिर समय और लागत लंघन का सामना करना पड़ा। नियोजन में कमी और भूमि अधिग्रहण और मंजूरी में विलंब पाये गये। इन सभी का परियोजनाओं के समय पर निष्पादन में व्यापक प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार परियोजनाओं में ₹ 455.76 करोड़ के निवेश के बाद भी कोई सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका। तीन परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका, जबकि शेष परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का 2.28 से 68.21 प्रतिशत उपयोग रहा।

भैंसा सिंह परियोजना को सिंचाई और पेयजल दोनों उद्देश्यों के लिए निष्पादित किया गया था। तथापि, बांध का कार्य पूरा होने के बावजूद, कोई सिंचाई क्षमता सृजित नहीं की जा सकी और पेयजल सुविधाओं के लिए इसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंप दिया गया (अक्टूबर 2016)। इस प्रकार, 350 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने की प्रारंभिक योजना चार दशकों से अधिक समय में भी प्राप्त नहीं की जा सकी।

रोहिणी बांध में 365.94 हेक्टेयर की अनुमानित सिंचाई क्षमता सृजित की गई, लेकिन पुरानी और खराब रखरखाव वाली नहर प्रणाली के कारण इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सका और अंततः पंचायती राज विभाग को सौंपना पड़ा।

जल निकासी की निगरानी, परियोजनाओं के रखरखाव और अनुमानों के अनुसार फसल पद्धति प्राप्त करने में भी कमियां देखी गईं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2

क्या अभिप्रेरित परिणामों के लाभ और उपलब्धियों के सतत विस्तार के लिए सभी स्तर पर हितधारकों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया गया था?

परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित नहीं किया गया था। विभागों के बीच समन्वय के लिए कोई औपचारिक तंत्र मौजूद नहीं था।

परियोजनावार परिणामों का सही-सही आंकलन करने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ें या तो विभाग द्वारा बनाए नहीं गये या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। जिलों/तहसीलों के लिए सामान्य आंकड़े बनाए गए थे, लेकिन परियोजनावार आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा परियोजनावार परिणाम का सटीक रूप से पता नहीं लगा सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच परियोजनाओं में सिंचाई के लिए छोड़ा गया जल परिकल्पित और आरक्षित जल से बहुत कम था, जबकि दो परियोजनाओं में छोड़ा गया जल अत्यधिक जल भराव एवं लवणता का कारण बना। नर्मदा नहर परियोजना में अनाधिकृत जल उठाव पाया गया। पेयजल की आपूर्ति सही नहीं थी, क्योंकि सात में से केवल तीन परियोजनाओं में ही लाभार्थियों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया था। एक परियोजना के संबंध में लाभार्थियों को कोई जल उपलब्ध नहीं कराया गया था और अन्य तीन परियोजनाओं के संबंध में केवल लाभार्थियों के एक हिस्से को शामिल किया गया था।

राजस्थान राज्य जल उपयोगकर्ता संघों का गठन कर सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रारंभ करने में अग्रणी था। तथापि, जल उपयोगकर्ता संघ अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे, जिसके कारण परियोजनाओं का अनुरक्षण एवं प्रबंधन अकुशल हो गया था।

इस प्रकार, अकुशल निष्पादन और प्रबंधन के साथ-साथ अनुचित नियोजन के कारण परियोजनाएं इच्छित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकीं। महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह और हितधारकों के बीच समन्वय भी स्थायी लाभों के परिणामों और उपज की निगरानी के लिए सुनिश्चित नहीं किया गया था।



(अतूर्वा सिन्हा)


महालेखाकार

लेखापरीक्षा-II, राजस्थान

जयपुर,

दिनांक: 3 जनवरी 2022

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,

दिनांक: 27 जनवरी 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(सन्दर्भ पैराग्राफ 1.3)

प्रमुख निष्कर्षों की स्थिति और उस पर जन लेखा समिति की सिफारिशें

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16-राजस्थान सरकार

क्र.स.	टिप्पणियां	सिफारिशें
1	परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का उपयोग न करना	डिगिंगों का विद्युतीकरण कार्य 2018-19 तक किया जाना चाहिए तथा योजना में स्प्रिंकलर पद्धति का पालन किया जाना चाहिए
2	नहर निर्माण के पहले कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र की वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गयी	विभाग के नहर निर्माण से पूर्व वास्तविक कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र सुनिश्चित करें
3	सिविल और यांत्रिक कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यादेश देने के परिणामस्वरूप किसानों को पांच वर्षों से अधिक समय तक सिंचाई लाभ से वंचित रहना पड़ा	कोई टिप्पणी नहीं
4	कार्यादेश दिये जाने से पूर्व भूमि प्राप्ति नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप कार्य अपूर्ण रहा	कोई टिप्पणी नहीं
5	भूमि का नामान्तरण नहीं होना	शीघ्रातीशीघ्र भूमि नामान्तरण किया जा सकता है
6	भागीदारी सिंचाई प्रबंधन का अभाव	भागीदारी सिंचाई प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है
7	मोटर पम्पों का उपयोग करके किसानों द्वारा नहरों से सिंचाई हेतु जल निकालना	कोई टिप्पणी नहीं
8	वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्ति का अभाव	वृक्षारोपण का कार्य शीघ्रातीशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए
9	भूजल और सतही जल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया	कोई टिप्पणी नहीं
10	भूजल के पुनर्भरण और गुणवत्ता की निगरानी नहीं की गई	पीजोमीटर (दबाव नापने का यंत्र) का संस्थापन सुनिश्चित किया जावे

परिशिष्ट-II

(सन्दर्भ पैराग्राफ 3.1.2 (i))

भूमि अधिग्रहण में देरी दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.स.	खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का वर्ष	भूमि क्षतिपूर्ति अधिनियम 1894 के अनुसार भुगतान योग्य राशि	भूमि क्षतिपूर्ति भुगतान का वर्ष	भूमि क्षतिपूर्ति अधिनियम 2013 के अनुसार भुगतान राशि	परिहार्य व्यय (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अ.अ., ज.सं.वि., राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, भवानीमंडी	राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, भवानीमंडी	2012	37.11	2015	54.45	17.34
2	अ.अ., ज.सं.वि., जालोर	अकोली लघु सिंचाई परियोजना	2011	3.51	2015	7.48	3.97
3	अ.अ., नर्मदा नहर परियोजना, खण्ड-IV, सांचौर	नर्मदा नहर परियोजना सांचौर	1996	1.92	2015	2.82	0.90
4	अ.अ., ज.सं.वि., चंवली परियोजना नगर खण्ड, झालावाड़ मध्यम सिंचाई परियोजना, पचपहाड	पिपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना, पचपहाड	2006	3.23	2017	5.23	2.00
5	अ.अ., ज.सं.वि., खण्ड-II, छबड़ा, बारां, मध्यम सिंचाई परियोजना, छिपाबडोद	ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना, छिपाबडोद	2007	9.29	2017	18.70	9.41
	योग			55.06		88.68	33.62

परिशिष्ट-III

(संदर्भ पैराग्राफ 3.6.2)

क्षतिपूर्ति के वसूली/उदग्रहण का अभाव

(राशि ₹ लाखों में)

क्र.स.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य आदेश राशि (₹ लाख में)	निर्धारित तिथि		समाप्त होने की वास्तविक तिथि	व्यय (₹ लाख में)	मुआवजा लगाया/लगाना था		वसूली गई राशि	वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)
					आरंभ	समाप्ति			धारा 2 के अंतर्गत	धारा 3 के अंतर्गत		
1	अधिशायी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना खण्ड V सांचौर	नर्मदा नहर परियोजना के टेल माइनर किमी 600 से टेल माइनर भीमगुदा के लिये अर्द्ध स्थाई स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप के वितरण नेटवर्क (मुख्य व उपमुख्य) और क्षैतिज रूप से केंद्र प्रसारक मोनो ब्लॉक पंपिंग सेट के साथ विद्युत संचालित मोटर की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना और चालू करना।	07/2009-10	355.13	26.02.2010	25.11.2010	24.02.2012	190.27	3.39	-	0	3.39
2	अधिशायी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना खण्ड II सांचौर	रनोदर माइनर के सिंचित क्षेत्र में टर्नकी आधार पर यांत्रिक कार्य की डिजाईन एवं ले-आउट सहित विद्युत चलित मोटर के साथ क्षैतिज रूप से केंद्र प्रसारक मोनो ब्लॉक पंपिंग सेट एवं अर्द्धस्थायी फव्वारा सिस्टम के लिये एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना एवं वितरण नेटवर्क (मुख्य एवं उपमुख्य) को चालू करना।	5/2008/09	134.48	08/08/2008	07/12/2008	नहीं किया	91.02	13.45	48.76	0	62.21

क्र.स.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य आदेश राशि (र लाख में)	निर्धारित तिथि		समाप्त होने की वास्तविक तिथि	व्यय (र लाख में)	मुआवजा लगाया/लगाना था		वसूली गई राशि	वसूली योग्य राशि (र लाख में)
					आरंभ	समाप्ति			धारा 2 के अंतर्गत	धारा 3 के अंतर्गत		
3	अधिशाषी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना खण्ड I सांचौर	वंक डिस्ट्री, चक वीएनके 3 (आर) किमी 4.625 से चक 5 (एल), किमी 5.750 भदवाल माइनर, वीएचडब्ल्यू 1 (एल) से वीएचडब्ल्यू 10 (टी) और न्यू माइनर चक न्यू 1 (एल) से न्यू 5 (टी) एनएमसी के कुल 18 चक सिंचित क्षेत्र में डिजायनिंग और ले प्लान (एजी संख्या 15/2007-08) मैसर्स जैन सिंचाई प्रणाली के साथ अर्द्ध स्थाई स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप के वितरण नेटवर्क (मुख्य व उपमुख्य) की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना और चालू करना।	15/2007-08	177.81	05.08.2007	04.11.2007	पूर्ण 15.01.2013	176.38	5.61	0	0.28	5.33
4	अधिशाषी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना खण्ड I सांचौर	एनएमसी के वंक डिस्ट्री सिस्टम के वंक माइनर्स व भूवाना माइनर्स और वंक डिस्ट्री के चक वीएन के 6 से 31 (आर) और 4651 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में डिजाईन और ले प्लान के साथ अर्द्ध स्थाई स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप के वितरण नेटवर्क (मुख्य व उपमुख्य) की	20/2008-09	433.69	31.07.2008	31.01.2009	पूर्ण 31.10.2013	400.58	15.33	0	4.49	10.84

क्र.स.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य आदेश राशि (र लाख में)	निर्धारित तिथि		समाप्त होने की वास्तविक तिथि	व्यय (र लाख में)	मुआवजा लगाया/लगाना था		वसूली गई राशि	वसूली योग्य राशि (र लाख में)
					आरंभ	समाप्ति			धारा 2 के अंतर्गत	धारा 3 के अंतर्गत		
		आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना और चालू करना। (अनु. सं. 20/2008-09) मैसर्स जैन इरीगेशन सिस्टम										
5	अधिशायी अभियंता ज.सं.वि. सिरोही	मुख्य बांध का निर्माण और बाहरी सल्यूस का पक्का कार्य मेसनरी वेस्ट वीयर का निर्माण और मैसा सिंह प्रोजेक्ट के पिक अप वियर का निर्माण	72/1978-79 73/1978-79 78/1978-79	38.59	01.09.1979	08.01.1981	अपूर्ण	14.88	3.62	0	1.07	2.55
6	अधिशायी अभियंता ज.सं.वि. सण्ड अलवर	घाट पिक अप वियर सिंचाई परियोजना की मरम्मत और रिस्टोरेशन का कार्य	07/2011-12	878.99	02.09.2011	01.09.2013	05.04.2014	872.37	2.66	-	1.85	0.81
7	अधिशायी अभियंता चवली परियोजना नहर सण्ड झालावाड़	एलएमसी की बकानी माइनर, अलवा माइनर का निर्माण	02/2015-16	69.30	31.05.2015	29.02.2016	कार्य रद्द किया गया	73.42	6.93	4.68	5.26	6.35
8	अधिशायी अभियंता चवली परियोजना नहर सण्ड झालावाड़	एलएमसी की सोरिया और टेल माइनर का निर्माण	03/2015-16	71.12	31.05.2015	29.02.2016	कार्य रद्द किया गया	55.38	7.11	8.98	6.37	9.72
9	अधिशायी अभियंता ज.सं.वि. सण्ड ॥ छबड़ा, बारां	ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना की संरचना के साथ मुख्य नहर आरडी 0 मीटर से 10200 मीटर का निर्माण	02/2017-18	1423.99	17.05.2017	16.11.2018	कार्य प्रगतिरत (02/2020)	651.44	123.60	0	0	123.60
10	अधिशायी अभियंता ज.सं.वि. सलुम्बर (उदयपुर)	दो नदी लघु सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर 9 से 13.98 किमी के निर्माण कार्य	6/2002-03	40.49	26.05.2002	25.09.2002	कार्य रद्द, अपूर्ण	32.90	0.66	19.69	3.54	16.81
		कुल										241.61

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ पैराग्राफ 4.2.4)

जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा अभिलेखों के संधारण का अभाव

क्र.स.	प्रोफोर्मा	नियम	प्रोफोर्मा का विवरण
1	XIII	47 (2)(III)	लिफ्ट कमांड के अधीन क्षेत्रों की पंजिका
2	XIV	47 (2) (IV)	कुओं और ट्यूबवेलों की पंजिका
3	XVI	47(2) (VI)	खेती योग्य कमांड की पंजिका
4	XVII	47(2) (VII)	मांग मूल्यांकन और सिंचित क्षेत्र की पंजिका (आईडीए रजिस्टर)
5	XVIII	47(2) (VIII)	सिंचाई बकाया राशि/वसूली की पंजिका
6	XIX	47(2) (IX)	बकाया देय का वार्षिक सारांश
7	XX	47(2) (X)	सम्पत्ति पंजिका
8	XXI	47(2) (XI)	वर्ष के लिये कार्य पंजिका
9	X(a)	47 (iv)	वस्तु सूची पंजिका (स्वाता और सामान के लिए)
10	X(b)	47 (iv)	वस्तु सूची का वार्षिक सार (भौतिक – सत्यापन)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in



<http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi>